6 जुलाई, 2012 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 53वीं बैठक के लिए संशोधित एजेंडा

मद संख्या 53.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर*	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स ओपीजी पावर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड	भद्रेश्वर, मुंद्रा, कच्छ, गुजरात	विद्युत	104,72,24	हां#	हां	नया
(ii)	मैसर्स इमपेटस इन्फोटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	इंदौर, मध्य प्रदेश	आईटी / आईटीईएस	10	हां	हां	13 मार्च 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि भूमि विकासक के कब्जे में नहीं थी। मध्य प्रदेश सरकार ने अब 31 मार्च 2012 को 10 हेक्टेयर भूमि का कब्जा प्रदान किया है। अनुबंध 1 (पृष्ठ संख्या 43-44)।
(iii)	मैसर्स जुबिलैंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	ग्राम कल्लाहल्ली, तालुक नंजुगुड, जिला मैसूर, कर्नाटक	बायोटेक (फार्मा)	10	हां	हां	विकास आयुक्त, सीएसईजेड द्वारा जांच के लिए 13 मार्च, 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था। विकास आयुक्त ने अब रिपोर्ट दिनांक 2 मई 2012 भेजी है जिसमें प्रस्ताव की सिफारिश की गई है।
(iv)	मैसर्स वी वी खनिज	तिरुवंबलपुरम गांव, राधापुरम तालुक, तिरुनेवेली जिला, तमिलनाडु	खनिज एवं खनिज आधारित उत्पाद	166.66	हां	हां	नया

*राज्य सरकार की सिफारिश

आवेदन दिनांक 14 जून 2011 को प्रस्तुत करते समय विकासक ने बताया था कि उसके कब्जे में केवल 65.55.91 हेक्टेयर भूमि है तथा शेष 39.16.33 हेक्टेयर भूमि खरीदी जा रही है। तथापि, अब विकासक ने पत्र दिनांक 31 मई 2012 के माध्यम से 104.72.24 हेक्टेयर भूमि के प्रापण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किया है और

इसलिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करने का अनुरोध किया है। उपर्युक्त विकास पर विकास आयुक्त, केएएसईजेड के संशोधित रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

मद संख्या 53.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) लंधैकुलम गांव, मदुरै, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स चेल्ला साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

11.6994 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 30 अप्रैल, 2008 को अधिसूचित किया गया था। 0.91 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स चेल्ला साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर 13 मार्च, 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

''विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को जांच करने का निदेश दिया कि क्या आवेदक की एसईजेड में कोई यूनिट है तथा उपयुक्त सिफारिश प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया। तद्नुसार मामले को आस्थगित कर दिया गया।''

विकास आयुक्त, एमईपीजेड से रिपोर्ट दिनांक 20 मार्च 2012 प्राप्त हो गई है जिसमें विकास आयुक्त ने प्रस्ताव की सिफारिश की है (अनुबंध 2, पृष्ठ संख्या 45-46)।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स किंग्स कैनन इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

19.3028 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स किंग्स कैनन इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में 3.648 एकड़ के क्षेत्रफल में 741036 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्रफल में अवसंरचना के विकास और / या प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 30 मार्च, 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

''राजस्व विभाग ने किए जा रहे पट्टा करार की प्रकृति पर आपत्ति की जिसमें पट्टा किराया के एकबारगी भुगतान के लिए प्रावधान है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।''

अब विकासक तथा सह विकासक के बीच संशोधित सह विकासक करार दिनांक 27 अप्रैल 2012 किया गया है जिसमें पट्टा किराया के एकबारगी भुगतान के प्रावधान को पट्टा किराया के वार्षिक भुगतान से प्रतिष्ठापित किया गया है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) प्लॉट संख्या टीजेड-06, टेक जोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अर्थ आइकानिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

30.41 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 29 **अगस्त**, 2006 **को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स अर्थ इकोनामिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में** 151762.50 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।** 30 **मार्च**, 2012 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है** :

"उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा विकासक को पट्टा पर भूमि प्रदान की गई थी और यह कि उनको प्रस्तावित सह विकासक करार के ब्यौरों के बारे में सूचित किया जाए। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा विकासक को निदेश दिया कि वे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को प्रस्तावित प्रारूप पट्टा करार की प्रति प्रस्तुत करें, जो विकास आयुक्त के माध्यम से अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं।"

अनुमोदन बोर्ड के निदेशों के अनुपालन में विकासक ने 11 **अप्रैल** 2012 **को विकासक, सह विकासक तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बीच किए जाने के लिए प्रस्तावित त्रिपक्षीय उप पट्टा विलेख की प्रति अग्रेषित की है (अनुबंध** 3, **पृष्ठ** 47-49)**।**

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) जंबूसर, जिला भड़ूच, गुजरात में मैसर्स स्टर्लिंग एसईजेड एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड का अनुरोध

1263.0017 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 11 **फरवरी**, 2009 **को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड में प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए स्टेशन के साथ प्राकृतिक गैस के पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सह विकासक ने लगभग** 28 **किलोमीटर के पाइप लाइन नेटवर्क तथा** 100 **मीटर** x 100 **मीटर के प्लाट पर स्टेशन का प्रस्ताव किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक** 11 **अक्टूबर**, 2011 **भी उपलब्ध कराया गया है। निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पट्टा करार भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, वास्तविक एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स माइलस्टोन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड (एमबीपीएल) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स भारतीय अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड डवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

10.11 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 27 **सितंबर**, 2010 **को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स भारतीय अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड डवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में** 42,93,125.71 **वर्गफीट के निर्मित क्षेत्रफल के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक**

ने पहले एमओयू दिनांक 20 फरवरी 2012 प्रस्तुत किया था। तथापि, बाद में विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 7 मई, 2012 उपलब्ध कराया गया है। निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पट्टा करार भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) बल्लंदपुर गांव, वर्थुर होबली, बंगलौर पूर्व तालुक, बंगलौर शहरी जिला, कर्नाटक में मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स प्रिटेक प्रोजेक्ट्स का अनुरोध

14.696 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स प्रिटेक प्रोजेक्ट्स ने उक्त एसईजेड में 2.023 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पूर्ण अवसंरचना के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 14 अप्रैल, 2012 उपलब्ध कराया गया है। उप पट्टा विलेख दिनांक 16 फरवरी 2012 की प्रति भी उपलब्ध कराई गई है जिसके माध्यम से 20 साल की अवधि के लिए सह विकासक को भूमि पट्टा पर प्रदान की गई है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii) तालुक खेड एवं शिरूर, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स खेड इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स खेड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उक्त बहु उत्पाद एसईजेड 1000 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में अधिसूचित हो गया है। उक्त एसईजेड में 32.38 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों के तहत शामिल अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए मैसर्स खेड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर 13 मार्च, 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सह विकासक का दर्जा प्रदान किए जाने पर एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत लाभों को प्राप्त करने के अलावा मैसर्स खेड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड संभवत: वस्त्र मंत्रालय से सब्सिडी भी प्राप्त करेगा। अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि यह डबल डिपिंग हो सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने वस्त्र मंत्रालय से इस मामले में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया तथा प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।"

तद्नुसार वस्त्र मंत्रालय से स्पष्टीकरण मंगाया गया। वस्त्र मंत्रालय ने सूचित किया है कि एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना (एसआईटीपी) के दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में भी एकीकृत टेक्सटाइल पार्क (आईटीपी) स्थापित किए जा सकते हैं तथा ऐसे मामले में एसईजेड के विशेष प्रावधान उनके लिए लागू होंगे।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(viii) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्वेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अर्थ बिल्डर्स एलएलपी का अनुरोध

10.006754 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स अर्थ बिल्डर्स एलएलपी ने उपर्युक्त एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में** 0.436921 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में लगभग** 3 **लाख वर्गफीट के एक टावर का निर्माण करके अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।** 19 **सितंबर**, 2011 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है** :

"**सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने बताया कि विकास आयुक्त, एनएसईजेड की रिपोर्ट में सह विकासक द्वारा भुगतान किए जाने वाले अग्रिम शुल्क, यदि कोई हो, तथा किराया व्यवस्था पर कोई वित्तीय ब्यौरा प्रदान नहीं किया गया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड से वाणिज्य विभाग द्वारा मामले की अग्रेतर जांच के लिए वांछित सूचना प्रदान करने के लिए कहा गया। इस बात पर सहमति हुई कि अनावश्यक विलंब से बचने के लिए सीबीडीटी की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर मामले के बारे में निर्णय लिया जाएगा।**"

वित्तीय व्यवस्था तथा अग्रिम शुल्क को दर्शाने वाले प्रारूप पट्टा विलेख की प्रति सीबीडीटी को प्रस्तुत की गई है परंतु अभी तक उनकी टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, सीबीडीटी बैठक में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 53.3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) मंजरी बुदरुक, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

11.50675 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 29 **मार्च**, 2012 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत संचालन के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	**अधिकृत गतिविधि का नाम**	**अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)**
(1)	(2)	(3)
1.	**हेलीपैड**	1035
2.	**क्लीनिकल तथा टॉक्स स्टडी के लिए एनिमल ब्रीडिंग के लिए एनीमल हाउस**	1860
3.	**आवास या सर्विस अपार्टमेंट, बिजनस और/या कनवेंशन सेंटर, शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस**	6000
4.	**कार्यालय स्थान**	5580
5.	**रेस्ट रूम**	235
6.	**कपड़े धोने का केंद्रीयकृत क्षेत्र**	280

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने की सिफारिश की है। अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) टीकरी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स यूनीटेक रियल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

10.041 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 9 **जनवरी**, 2008 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत संचालन के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	**प्रस्तावित गतिविधि**	**मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	**आईटी - आईटीईएस कार्यालय स्थान**	54859.20
2.	**वाणिज्यिक कार्यालय स्थान**	1450
3.	**विद्युत** (**पावर बैकअप की सुविधाओं सहित**)	5 **मेगावाट**
4.	**एमएल कार पार्किंग सहित पार्किंग**	**वास्तविक आवश्यकता के अनुसार**
5.	**कैफेटेरिया सहित फूड सर्विस**	150
6.	**ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां**	**वास्तविक आवश्यकता के अनुसार**
	कुल	**56459.20**

विकास आयुक्त, **एनएसईजेड ने बताया कि विकासक अनुदेश संख्या** 30 **में प्रावधान के अनुसार आवासीय / वाणिज्यिक गतिविधियों आदि का सृजन नहीं करना चाहता है तथा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में उपर्युक्त अवसंरचना का सृजन करने का प्रस्ताव किया है जिसका उपयोग उन कंपनियों / यूनिटों द्वारा किया जाएगा जो अन्यथा एसईजेड यूनिट का दर्जा प्रदान करने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर सकती हैं। विकास आयुक्त**, **एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध अग्रेषित किया है।**

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) भोड़सी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीएचआई फिनलीज एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध

12.936 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 03 **दिसंबर**, 2007 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र / गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

प्रसंस्करण क्षेत्र में

क्र. सं.	**अधिकृत गतिविधि का नाम**	**यूनिटों की संख्या**	**क्षेत्रफल प्रति यूनिट (वर्गमीटर में)**	**कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**
1.	**आईटी कार्यालय**	220	714.005	157081
2.	**मल्टी पर्पज हॉल**	1	3000	3000
3.	**कैफेटीरिया / फूड कोर्ट / रेस्टोरेंट**	1	2000	2000
4.	**मेडिकल सेंटर**	1	200	200
5	**बैंक / एटीएम**	10	50	500
6.	**डीसी / कस्टम / पब्लिक आफिस**	1	500	500
7.	**मनोरंजन** (**क्लब एवं जिम**)	1	2000	2000
8.	**प्रशासन / राज्य प्रबंध**	1	1000	1000

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वाणिज्यिक कार्यालय एवं शॉपिंग सर्विस अपार्टमेंट	340 120	25 66.666	8500 8000
2.	आवासीय	278 यूनिटें 216 यूनिटें 96 यूनिटें	95 मीटर प्रत्येक 125 मीटर प्रत्येक 140 मीटर प्रत्येक	66850
3.	क्लब	2	750	1500
4.	मेडिकल सेंटर	1	500	500
4.	स्कूल	1	3000	3000

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव अग्रेषित किया है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में विकासक की पात्रता इस प्रकार है :

क्र. सं.	प्रस्तावित अधिकृत प्रचालन	एफएआर की अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	विशिष्ट गतिविधि के लिए विकासक की कुल पात्रता (अनुदेश संख्या 30 के अनुसार)	
			ग्राउंड कवरेज (5 हेक्टेयर के एनपीए पर प्रतिबंधित)	राज्य कानून के अनुसार ग्राह्य एफएआर
1.	आवासीय	66850 सीजी: 38,274	30000	52500@ एफएआर 175 प्रतिशत
2.	वाणिज्यिक	16500 जीसी: 9,569	7500	13126@ एफएआर 175 प्रतिशत
3.	सुविधाएं	5000 जीसी: 15,948	12500	12500@ एफएआर 100

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 53.4 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) 10.9915 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम बादशाहपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स अंसल एसईजेड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

10.9915 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 15 मई, 2008 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने आर्थिक मंदी, मांग के अभाव तथा न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) तथा लाभांश वितरण कर (डीडीटी) लगाए जाने के कारण एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध किया है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि

कंपनी ने एसईजेड नियमावली के अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से किसी प्रकार का बैट या स्टांप ड्यूटी छूट सहित कोई कर लाभ प्राप्त नहीं किया है। हरियाणा सरकार ने एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक को एनओसी प्रदान किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 53.5 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) बारासत, पश्चिम बंगाल में आईटीईएस सहित आईटी / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी वापस लेना

एलओए दिनांक 14 जुलाई, 2009 के माध्यम से बारासत, पश्चिम बंगाल में 11.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटीईएस सहित आईटी / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अब विकासक ने निम्नलिखित कारणों का उल्लेख करते हुए औपचारिक मंजूरी को वापस लेने के लिए अनुरोध किया है :

(क) वर्तमान लोकेशन में आईटी / आईटीईएस स्पेस के लिए मांग का अभाव।
(ख) राज्य सरकार ने प्रस्तावित एसईजेड के लिए निर्मित की जाने वाली संपर्क सड़क का निर्माण रोक दिया है।
(ग) साइट के आसपास अन्य अवसंरचना सुविधाओं के न होने के कारण परियोजना अत्यंत अलाभप्रद हो गई है।

विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 53.6 : पांचवें एवं छठें साल के बाद यूनिटों के औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) बैकमपैडी, मंगलौर के पास, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स मंगलौर एसईलेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 30 जुलाई, 2007 के माध्यम से 588 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस समय 624.786 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को एक-एक साल का दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 29 जुलाई, 2012 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2011-12 के लिए निवेश लगभग 189 करोड़ रुपए है तथा मार्च 2012 तक कुल निवेश लगभग 650 करोड़ रुपए है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि जुलाई 2014 तक परियोजना पूरी हो जाने की संभावना है। परियोजना को पूरा

करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) नारीवल्ली गांव, तालुक एवं जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 मई, 2012 के बाद (5 वर्ष के बाद) बढ़ाने के लिए मैसर्स लोधा ड्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 3 मई, 2007 के माध्यम से विकासक को 32 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 32.67 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 12 मार्च, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को एक-एक साल का दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 2 मई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने बताया है कि आर्थिक मंदी के कारण आईटी / आईटीईएस के बाजार को अपेक्षा के अनुरूप नहीं लिया गया है जिससे कंपनी को परियोजना को क्रियाशील बनाने में कठिनाइयां हुई थी। यह भी बताया गया है कि इस समय कंपनी परियोजना के लेआउट को अंतिम रूप दे रही है तथा अपेक्षित क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद विभिन्न विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ साइट को साफ करने तथा निर्माण करने का कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा साइट को तैयार करने तथा चारदीवारी का निर्माण करने का कार्य चल रहा है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए अर्थात 02 मई, 2013 तक वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vi) कंकसा, पानगढ़ बाजार, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2011 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफील्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 23 अगस्त, 2006 के माध्यम से 26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 28.972 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 24 अगस्त, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को एक-एक साल का दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 22 अगस्त, 2011 तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। वैधता अवधि की समाप्ति से पूर्व अनुरोध किया गया। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि एक यूनिट एलओपी प्रदान किया गया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने 22 अगस्त 2012 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iv) दीमापुर, नागालैंड में बहु उत्पाद्य एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 के बाद (5वें वर्ष के बाद) बढ़ाने के लिए मैसर्स एचएन कंपनी का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 30 जुलाई, 2007 के माध्यम से 400 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। एलओए की वैधता अवधि 30 जुलाई 2010 से समाप्त हो गई है क्योंकि विकासक द्वारा अवधि बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया। अब विकासक ने विलंब को माफ करते हुए 29 जुलाई 2010 के बाद वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। एसईजेड को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है क्योंकि एसईजेड के कुछ अंश से होकर आर्मी बाईपास रोड गुजर रही है। अब विकासक ने आर्मी बाईपास रोड के आगे वाले क्षेत्रफल को बाहर करने का निर्णय लिया है ताकि सन्निकटता की आवश्यकता पूरी हो सके। सन्निकटता के मुद्दे के निराकरण के बाद विकासक ने 293.40 हेक्टेयर (725 एकड़) के संस्पर्शी क्षेत्रफल की अधिसूचना के लिए निरीक्षण करने के लिए मार्च 2012 में एफएसईजेड को संगत दस्तावेज प्रस्तुत किया है। निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। परियोजना को लागू करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने 29 जुलाई 2010 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त,एफसईजेड ने 30 जुलाई 2012 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(v) खोपोली, दहीवाली गांव, खालापुर तालुक, रायगड़ जिला, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स उत्तम गल्वा स्टील लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से 11.63 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 14.43.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 12 मार्च, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को एक-एक साल का दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जुलाई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने अब तक सीमांकन तथा चारदीवारी के निर्माण, साइट की फेंसिंग, लैंड स्केपिंग तथा अन्य अवसंरचना विकास कार्य में लगभग 20 करोड़ रुपए का निवेश किया है। विकासक ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्लियरेंस प्राप्त किया है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा विकासक मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने के चरण पर है तथा एसईजेड विकासक का वास्तुशिल्प ग्रीन एसईजेड पॉलिसी का लाभ उठाएगा। विकासक ने बताया है कि कंपनी को एक साल के अंदर परियोजना को लागू करने का विश्वास है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 तक पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vi) खोपोली, देवनहावे गांव, खालापुर तालुक, रायगड़ जिला, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स उत्तम गल्वा स्टील लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से 10.66 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.719 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 19 जून, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को एक-एक साल का दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जुलाई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने अब तक सीमांकन तथा चारदीवारी के निर्माण, साइट की फेंसिंग, लैंड स्केपिंग तथा अन्य अवसंरचना विकास कार्य में लगभग 15 करोड़ रुपए का निवेश किया है। विकासक ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्लियरेंस प्राप्त किया है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा विकासक मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने के चरण पर है तथा एसईजेड विकासक का वास्तुशिल्प ग्रीन एसईजेड पॉलिसी का लाभ उठाएगा। विकासक ने बताया है कि कंपनी को एक साल के अंदर परियोजना को लागू करने का विश्वास है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 तक पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vii) ग्राम नगवारा, बंगलौर उत्तर तालुक, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 जून, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कार्ले इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 19 जून, 2007 के माध्यम से 10.011 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.876 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 12 दिसंबर, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 18 जून, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को पूरा करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने सूचित किया है कि परियोजना में अब तक 313.20 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है तथा मार्च 2013 तक पहले चरण के पूर्ण हो जाने की संभावना है तथा इसके बाद शीघ्र निर्यात शुरू होने की संभावना है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने यूनिट को एक साल अर्थात 18 जून, 2013 तक का समय विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(viii) जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शमशाबाद, हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के साथ बहु सेवा (पहले एयरपोर्ट आधारित बहु उत्पाद) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2012 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 जून, 2007 के माध्यम से 101.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 08 जून 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को एसईजेड का सेक्टर "एयरपोर्ट आधारित बहु उत्पाद" से बदलकर "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र के साथ बहु सेवा" करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 24 जून, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने बताया है कि एसईजेड के सेक्टर में परिवर्तन के बाद मास्टर प्लान तैयार कर

लिया गया है। वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए विश्व स्तरीय सुविधा का निर्माण करने तथा पूरे विश्व में अन्य समान वित्तीय सेवा केन्द्रों में यथा उपलब्ध अन्य सहायक अवसंरचना का निर्माण करने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्ट एलाइनमेंट तथा इनफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के साथ व्यापक संकल्पनात्मक प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा वर्तमान वित्त वर्ष में एसईजेड को अधिसूचित कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि कंपनी इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए विश्व की कुछ प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ चर्चा के उन्नत चरण में है। इसलिए विकासक ने दो साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने यूनिट को एक साल अर्थात 24 जून, 2013 तक का समय विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ix) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स यूनिटेक इंफ्राकॉन लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 23 मई, 2007 के माध्यम से विकासक को 30.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 20.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 15 जनवरी, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 22 मई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया तथा बताया है कि 2008 में कार्य शुरू हुए थे परंतु वैश्विक मंदी के कारण उनको रोकना पड़ा तथा अब ये पुन: शुरू किए गए हैं। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि एसईजेड के मई, 2014 तक क्रियाशील हो जाएगा। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(x) सावली गांव, वडोदरा जिला, गुजरात में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 जून, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) का अनुरोध

एलओए दिनांक 23 जून, 2007 के माध्यम से विकासक को 14.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 15.8098 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 27 अक्टूबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 22 जून, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब इसलिए हुआ कि यद्यपि एसईजेड के लिए तीन यूनिटें अनुमोदित हैं परंतु उनमें से एक ने भी कारखाना भवन का निर्माण शुरू नहीं किया है, हालांकि विकासक द्वारा अधिकांश अवसंरचना कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने यूनिट को एक साल अर्थात 22 जून, 2013 तक का समय विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xi) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-ए के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 **अक्टूबर**, 2007 **के माध्यम से** 21.23 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था।** 21.13 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 27 **मई**, 2008 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि** 22 **अक्टूबर**, 2012 **तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने बताया है कि फरवरी** 2012 **तक एसईजेड में** 53.19 **करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। विकासक ने बताया है कि महाराष्ट्र एसईजेड अधिनियम के अधिनियमन में असाधारण विलंब, राजकोषीय लाभों के उपलब्ध न होने के कारण यूनिटें स्थापित करने के लिए उद्यमियों से कम रिस्पांस, प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता में उपलब्ध प्रोत्साहनों के बारे में अनिश्चितता, मैट एवं डीडीटी लगाए जाने, प्रमुख निर्यात बाजारों में आर्थिक मंदी तथा बाहरी अवसंरचना जैसे कि सड़क, रेल, पानी, परिवहन एवं पुल के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबद्धता के निर्वहन में विलंब के कारण एसईजेड के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक को एक साल अर्थात** 24 **अक्टूबर**, 2012 **तक का समय विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।**

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xii) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-बी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 **अक्टूबर**, 2007 **के माध्यम से** 38.28 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था।** 38.28 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 8 **मई**, 2008 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि** 24 **अक्टूबर**, 2012 **तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने बताया है कि फरवरी** 2012 **तक एसईजेड में** 98.38 **करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र एसईजेड अधिनियम के अधिनियमन में असाधारण विलंब, राजकोषीय लाभों के उपलब्ध न होने के कारण यूनिटें स्थापित करने के लिए उद्यमियों से कम रिस्पांस, प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता में उपलब्ध प्रोत्साहनों के बारे में अनिश्चितता, मैट एवं डीडीटी लगाए जाने, प्रमुख निर्यात बाजारों में आर्थिक मंदी तथा बाहरी अवसंरचना जैसे कि सड़क, रेल, पानी, परिवहन एवं पुल के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबद्धता के निर्वहन में विलंब के कारण एसईजेड के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक को एक साल अर्थात** 24 **अक्टूबर**, 2012 **तक का समय विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।**

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xiii) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-सी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 नवंबर, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 22 **नवंबर**, 2007 **के माध्यम से विकासक को** 13.53 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था।** 10.77 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 12 **मार्च**, 2009 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि** 21 **नवंबर**, 2012 **तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने बताया है कि फरवरी** 2012 **तक एसईजेड में** 26.66 **करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र एसईजेड अधिनियम के अधिनियमन में असाधारण विलंब, राजकोषीय लाभों के उपलब्ध न होने के कारण यूनिटें स्थापित करने के लिए उद्यमियों से कम रिस्पांस, प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता में उपलब्ध प्रोत्साहनों के बारे में अनिश्चितता, मैट एवं डीडीटी लगाए जाने, प्रमुख निर्यात बाजारों में आर्थिक मंदी तथा बाहरी अवसंरचना जैसे कि सड़क, रेल, पानी, परिवहन एवं पुल के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबद्धता के निर्वहन में विलंब के कारण एसईजेड के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक को एक साल अर्थात** 21 **नवंबर**, 2013 **तक का समय विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।**

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xiv) शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इंसपिरा (इनफ्रा) औरंगाबाद लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 **जुलाई**, 2007 **के माध्यम से** 100.43 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था।** 100 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 22 **अक्टूबर**, 2008 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि** 25 **जुलाई**, 2012 **तक वैध थी। विकासक ने सूचित किया है कि मास्टर प्लान, भूखंड का सीमांकन, लैंड ग्रेडिंग, सड़क के विपथन, प्रसंस्करण क्षेत्र की चारदीवारी तथा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र की फेंसिंग का कार्य पूरा हो गया है। विकासक ने यह भी बताया है कि वैश्विक मंदी से व्यवसाय विकास तथा एसईजेड परियोजना के विपणन पर काफी प्रभाव पड़ा है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने में विलंब के कारण परियोजना का कार्यान्वयन काफी प्रभावित हुआ है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि प्रोत्साहनों और छूट के संबंध में सरकारी नीतियों में स्थिरता न होने के कारण उनकी परियोजना के लिए मांग नहीं है जिसकी वजह से परियोजना के निष्पादन में विलंब हुआ है। विकासक ने बताया है कि जुलाई** 2014 **तक परियोजना पूरी हो जाएगी। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने दो साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।**

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xv) शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इंसपिरा (इनफ्रा) औरंगाबाद लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 5 अगस्त, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जुलाई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने सूचित किया है कि मास्टर प्लान तैयार करने, भूखंड का सीमांकन करने, भूमि श्रेणीकरण, विपथन सड़क के कार्य पूरे हो गए हैं। एसईजेड की चारदीवारी का निर्माण प्रगति पर है। विकासक ने यह भी बताया है कि वैश्विक मंदी से व्यवसाय विकास तथा एसईजेड परियोजना के विपणन पर काफी प्रभाव पड़ा है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने में विलंब के कारण परियोजना का कार्यान्वयन काफी प्रभावित हुआ है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि प्रोत्साहनों और छूट के संबंध में सरकारी नीतियों में स्थिरता न होने के कारण उनकी परियोजना के लिए मांग नहीं है जिसकी वजह से परियोजना के निष्पादन में विलंब हुआ है। विकासक ने बताया है कि जुलाई 2014 तक परियोजना पूरी हो जाएगी। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने दो साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xvi) कांडला एवं टूना, गांधीधाम, जिला भुज, गुजरात में पत्तन आधारित बहु उत्पाद्द एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 मई, 2012 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कांडला पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 7 मई, 2007 के माध्यम से 5000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 6 मई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने बताया है कि एसईजेड की अधिसूचना के लिए गुजरात सरकार से अपेक्षित प्रमाण पत्र अभी प्राप्त किया जाना है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड के सिफारिश की प्रतीक्षा है।

(xvii) ग्राम चिंतावरम, चिल्लाकुरू मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में वस्त्र एवं परिधान के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एमएएस फेब्रिक पार्क्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से 235 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 229.29 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 6 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 09 अप्रैल, 2008 को 5.78 हेक्टेयर का

अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 235.07 हेक्टेयर हो गया। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जुलाई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने सूचित किया है कि अगस्त 2012 तक एंकर यूनिट निर्यात के लिए अपना उत्पादन शुरू करने जा रही है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि पहले चरण का विकास आरंभ हो चुका है। साइट की ग्रेडिंग तथा सड़क, पुलों एवं वाटर टैंक के निर्माण के लिए 30.78 करोड़ रुपए मूल्य की संविदाएं सौंपी जा चुकी हैं। कार्य शुरू हो चुका है तथा मार्च 2013 तक पूर्ण हो जाने की उम्मीद है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(xviii) ग्राम ओवाले, चोडबंडर रोड, जिला थाणे, महाराष्ट में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) तीसरी बार बढ़ाने लिए मैसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 21 अगस्त, 2006 के माध्यम से 28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 22.327 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 2 जुलाई, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को एक-एक साल का तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 20 अगस्त, 2012 तक वैध थी। विकासक ने 19 अगस्त 2014 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने का अनुरोध किया है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा कहा है कि महाराष्ट्र जैव प्रौद्योगिकी नीति, 2001 के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से संपर्क किया गया है। थाणे नगर निगम से 15 अक्टूबर 2011 को बिल्डिंग प्लान के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद विकासक 17 जनवरी 2012 को भूमि के लिए एनए परमीशन के लिए जिला कलेक्टर के पास आवेदन करेगा। विकासक ने सूचित किया है कि जिला कलेक्टर से उक्त परमीशन प्राप्त होते ही विकास कार्य शुरू हो जाएगा। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक को एक साल का समय विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xix) मुलुंड और थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 जून, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स सनस्ट्रीम सिटी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स जीयस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 21 जून, 2006 के माध्यम से 54.22 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 57.09 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 23 अप्रैल, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को एक-एक साल का तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 20 जून, 2012 तक वैध थी। विकासक ने वैधता

अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने बताया है कि विकासक ने एसईजेड के लिए निर्माण आरंभ करने से संबंधित अनिवार्य राज्य एवं केन्द्र सरकार की सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भूमि प्रयोग के प्रस्ताव तथा विकास नियंत्रण विनियम के साथ भूमि को भी अनुमोदित कर दिया गया है तथा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एसईजेड स्थापित करने के लिए सहमति भी जारी की जा चुकी है। विकासक ने साइट पर विकास तथा निर्माण कार्य शुरू कर दिया है तथा 50000 वर्गफीट का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। अगले तीन से चार माह के अंदर आईटी कंपनियों के लिए प्लग एंड प्ले आईटी स्पेस। विकासक ने बताया है कि भवन सामग्री की आपूर्ति में कमी तथा आर्थिक मंदी के कारण वे लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ हैं। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 जून 2013 तक पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xx) चेलेंबरा गांव में कक्कनचेरी, तिरुरंगाडी तालुक, मलप्पुरम जिला, केरल में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 जुलाई, 2010 के बाद (छठें वर्ष के बाद) दूसरी बार बढ़ाने के लिए केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 6 जुलाई, 2006 के माध्यम से 13.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 12.52 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 13 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का एक बार विस्तार प्रदान किया जा चुका है जो 6 जुलाई 2010 को समाप्त हो गया है क्योंकि विकासक द्वारा वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया। अब विकासक ने विलंब को माफ करने के लिए तथा वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि भूलवश उनके द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने के लिए समय से अनुरोध नहीं किया जा सका। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा सूचित किया है कि चार यूनिटों को मंजूरी पत्र जारी किया गया है जिसमें से दो यूनिटों के जुलाई 2012 तक क्रियाशील हो जाने की उम्मीद है। इसके अलावा एसईजेड में 17 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। विकास आयुक्त,एफसईजेड ने 5 जुलाई 2012 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xxi) 15/1, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 जून, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स सेलेक्टो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को 17 मार्च 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 3 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। एलओए दिनांक 16 जनवरी, 2006 के माध्यम से मंजूरी से अवगत कराया गया था। 3.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 17 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 15 जून, 2012 तक वैध थी। विकासक ने सूचित किया है कि ऐसे कारणों से परियोजना समय पर पूरी नहीं की जा सकी जो उसके नियंत्रण से परे थे। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने 15 जून 2015 तक वैधता अवधि पुन:

बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विकासक को एक साल अर्थात 15 जून, 2012 तक का समय विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि आगे बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(xxii) रायगड़ जिला, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स क्लैरिज एसईजेड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 27 जून, 2006 के माध्यम से 108 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 26 जून, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा सूचित किया है कि परियोजना ऐसे कारणों से समय पर पूरी नहीं की जा सकी जो उसके नियंत्रण से परे थे। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक को एक साल अर्थात 26 जून, 2012 तक का समय विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।

इसे ध्यान में रखते हुए क्किासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि आगेक बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(xxiii) इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स एमपी औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 22 जून, 2006 के माध्यम से विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 7.99 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 2 नवंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। 22 जुलाई, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2012 तक बढ़ाई गई थी।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा सूचित किया है कि परियोजना में अब तक 51181 हेक्टेयर के प्रसंस्करण क्षेत्र का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा 3 आईटी / आईटीईएस यूनिटों को भी अनुमोदित किया गया है तथा 31 दिसंबर 2012 तक एसईजेड के क्रियाशील हो जाने की संभावना है। इसलिए विकासक ने 31 दिसंबर, 2012 तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि परियोजना को लागू करने के लिए विकासक द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए हैं और इसलिए उन्होंने 31 दिसंबर 2012 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xxiv) कल्लाहल्ली और कतवाडीपुरा गांव, नंजनगुड तालुक, जिला मैसूर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स ऑप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 21 अगस्त, 2007 के माध्यम से 12.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 13.345 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 21 जून, 2010 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 20 अगस्त, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है तथा सूचित किया है कि परियोजना में अब तक 13.50 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। विकासक ने परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के लिए निम्नलिखित कारणों का हवाला दिया है : (i) वैश्विक मंदी तथा आर्थिक मंदी (ii) एसईजेड विकासकों तथा एसईजेड यूनिटों पर मैट एवं डीडीटी का लगाया जाना (iii) एसईजेड के कराधान पर अस्पष्ट नीति (iv) कर्नाटक सरकार से क्लियरेंस प्राप्त करने में विलंब तथा इसके फलस्वरूप एसईजेड को अधिसूचित कराने में विलंब। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि तीन साल के अंदर परियोजना पूरी हो जाएगी और इसलिए उन्होंने 20 अगस्त 2015 तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक को एक साल अर्थात 20 अगस्त, 2012 तक का समय विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xxv) हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 27 अगस्त, 2012 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 28 अगस्त, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.968 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 12 दिसंबर, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 27 अगस्त, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने बताया है कि 2007 से 2009 की अवधि में आर्थिक मंदी की वजह से परियोजना में ज्यादा निवेश नहीं हो सका। परिणामत: एसईजेड का विकास / निर्माण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ और यह निर्धारित अवधि के अंदर पूरा नहीं हो सका। तथापि, पिछले 12-15 महीनों में आर्थिक उत्थान होने की वजह से अब कंपनी उक्त एसईजेड का विकास करने की स्थिति में है। विकासक ने सूचित किया है कि अब तक परियोजना में 112.42 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि तीन साल के अंदर परियोजना पूरी हो जाएगी। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि आगे बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(xxvi) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स डा. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जून, 2006 के माध्यम से 30.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 23.429 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त

एसईजेड 17 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जून, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा सूचित किया है कि अक्टूबर, 2012 तक प्रचालन के लिए पहले चरण के पूर्ण हो जाने की संभावना है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए अर्थात 25 जून, 2013 तक वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि आगे बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(xxvii) गोपालपुर, गंजम जिला, उड़ीसा में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 जून, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गोपालपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 18 जून, 2007 के माध्यम से 1173 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को अब तक दो बार समय विस्ताए प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 17 जून, 2012 तक वैध थी। विकासक ने सूचित किया है कि बहु उत्पाद एसईजेड को स्थापित करने में विलंब का मुख्य कारण यह है कि उड़ीसा सरकार द्वारा भूमि के अंतरण में विलंब हुआ है जिसकी वजह से वे एसईजेड की अधिसूचना के लिए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 53.7 : तीसरे से पांचवे साल के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
(i)	मैसर्स मुंबई एसईजेड लिमिटेड (तीसरे वर्ष के बाद)	बहु उत्पाद, 5000 हेक्टेयर	खोप्टा, जिला रायगड, महाराष्ट्र	8 अगस्त 2006 को प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद 07 अगस्त, 2009 तक दो बार अवधि बढ़ाई भी गई थी। इसके बाद, विकासक ने तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जिसके लिए उस समय एसईजेड नियमावली कोई प्रावधान में नहीं था। इसलिए 5 नवंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक द्वारा नया फार्म 'ए' प्रस्तुत किए जाने तथा राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त करने के अधीन पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति से अर्थात 8 अगस्त 2009 से नया सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। विकासक द्वारा दोनों शर्तों को पूरा किए जाने के

				बाद 8 अगस्त 2009 से नया सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके बाद विकासक को एक-एक साल का दो बार समय विस्तार प्रदान किया गया। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 7 अगस्त, 2012 तक वैध थी। अब विकासक ने यह कहते हुए तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि उन्होंने 1874 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है जो संस्पर्शी नहीं है तथा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। विकासक ने यह भी बताया है कि परियोजना में 1800 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकासक ने अनुरोध किया है कि सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 07 अगस्त, 2013 तक बढ़ाई जाए। विकास आयुक्त, एसईईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।
(ii)	मैसर्स नागपुर मल्टी प्रॉडक्ट एसईजेड लिमिटेड (चौथे वर्ष के बाद)	बहु उत्पाद, 1000 हेक्टेयर	नागपुर, महाराष्ट्र	एलओए दिनांक 9 जनवरी, 2008 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अनुमोदन बोर्ड द्वारा समय-समय पर सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई गई। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 8 जनवरी, 2012 तक वैध थी। विकासक ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है ताकि वे भूमि का अधिग्रहण कर सकें। आवेदन पत्र में विकासक द्वारा बताया गया है कि भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।
(iii)	मैसर्स औरंगाबाद एसईजेड लिमिटेड (चौथे वर्ष के बाद)	रत्न और आभूषण, 102 हेक्टेयर	औरंगाबाद, महाराष्ट्र	एलओए दिनांक 7 जनवरी, 2008 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अनुमोदन बोर्ड द्वारा समय-समय पर सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई गई। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 6 जनवरी, 2012 तक वैध थी। विकासक ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है ताकि वे भूमि का अधिग्रहण कर सकें। आवेदन पत्र में विकासक द्वारा बताया गया है कि भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।
(iv)	मैसर्स नांदेड़ एसईजेड लिमिटेड (पांचवें वर्ष के बाद)	रत्न और आभूषण, 50 हेक्टेयर	नादेड़, महाराष्ट्र	एलओए दिनांक 25 जून 2007 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अनुमोदन बोर्ड द्वारा समय-समय पर सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई गई। पिछली बार

				बढ़ाई गई अवधि 25 जून, 2012 तक वैध थी। विकासक ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है ताकि वे भूमि का अधिग्रहण कर सकें। आवेदन पत्र में विकासक द्वारा बताया गया है कि भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।
(v)	मैसर्स नासिक मल्टी सर्विसेज एसईजेड लिमिटेड (पांचवें वर्ष के बाद)	बहु सेवा, 100 हेक्टेयर	नासिक (महाराष्ट्र)	एलओए दिनांक 26 जून, 2007 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अनुमोदन बोर्ड द्वारा समय-समय पर सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई गई। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जून, 2012 तक वैध थी। विकासक ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है ताकि वे भूमि का अधिग्रहण कर सकें। आवेदन पत्र में विकासक द्वारा बताया गया है कि अब तक 42.33 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा कंपनी 57.67 हेक्टेयर की शेष भूमि का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।

मद संख्या 53.8 : तीन से पांच साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 31 दिसंबर, 2010 के बाद (तीसरे साल के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पीएंडजे क्रेटकेम प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

पत्र दिनांक 16 सितंबर, 2008 के माध्यम से मैसर्स पीएंडजे क्रेटकेम प्राइवेट लिमिटेड को उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने निर्माण गतिविधि के संबंध में यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 31नवंबर, 2010 तक बढ़ाई थी। यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 01 जनवरी, 2011 से समाप्त हो गई है क्योंकि यूनिट द्वारा वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया। विकासक ने वैधता अवधि पुन: 31 दिसंबर, 2010 बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। यूनिट ने सूचित किया है कि आरंभिक अवसंरचनात्मक मुद्दों में विलंब तथा पानी की कमी और उनके व्यवसाय में प्रतिकूल वैश्विक स्थिति के कारण वे मूलत: प्रस्ताव के अनुसार परियोजना शुरू नहीं कर सके। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि निर्दिष्ट अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार यूनिट ने प्लाट पर तीन ओर से केवल चार दीवारी का निर्माण कराया है। विकास आयुक्त ने यह भी बताया है कि यूनिट ने अब सूचित किया है कि वे वर्ष 2012-13 में विकास कार्य शुरू करेंगे तथा मार्च 2013 तक वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करेंगे। इसलिए विकास आयुक्त ने 31.मार्च, 2013 तक वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन तीसरे साल के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस मामले में दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए विकास आयुक्त, ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर, 2010 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) 27 जुलाई, 2011 के बाद (तीसरे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जेटा साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड जो मिहान एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

पत्र दिनांक 18 जुलाई, 2008 के माध्यम से मैसर्स जेटा साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड को उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 17 जुलाई, 2011 तक बढ़ाई थी। यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 18 जुलाई, 2011 से समाप्त हो गई है क्योंकि यूनिट द्वारा वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया। विकासक ने वैधता अवधि पुन: 17 जुलाई, 2011 बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। यूनिट ने बताया है कि 2009 से उनको विद्युत की मुख्य आवश्यकता उपलब्ध नहीं है और इसके उपलब्ध होने की संभावना भी पक्की नहीं है जिसकी वजह से भवन निर्माण आदि के लिए निवेश के सभी निर्णय आस्थगित कर दिए गए। इसलिए यूनिट सुविधा का निर्माण शुरू नहीं कर सकी और परिणामत: समय सीमा के अंदर परियोजना लागू नहीं की जा सकी।

अब यूनिट ने बताया है कि शीघ्र ही उनको विद्युत, इंटरनेट तथा जलापूर्ति उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए यूनिट शीघ्र ही प्रचालन शुरू करना चाहती है और 31 दिसंबर 2014 तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन तीसरे साल के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस मामले में दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए विकास आयुक्त, एमआईएचएएन, एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 17 जुलाई, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) 12 मार्च, 2012 के बाद (तीसरे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कॉमर्सियल सिनबैग लिमिटेड जो इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

पत्र दिनांक 13 मार्च, 2009 के माध्यम से मैसर्स कॉमर्सियल सिनबैग लिमिटेड को उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 12 मार्च, 2012 तक बढ़ाई थी। यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 13 मार्च, 2012 को समाप्त हो गई है। विकासक ने वैधता अवधि पुन: 12 मार्च, 2013 बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि यूनिट द्वारा प्रस्तावित कुल निवेश 483 लाख रुपए है और यूनिट ने अब तक परियोजना में 151.52 लाख रुपए का निवेश किया है। तथापि, यूनिट अब तक दो तिहाई कार्य पूरा करने में समर्थ नहीं हुई है। यूनिट ने फरवरी 2012 के माह में ट्रायल प्रोडक्शन भी शुरू किया है। यूनिट द्वारा उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन तीसरे साल के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण

सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस मामले में दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 12 मार्च, 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) 30 नवंबर, 2011 के बाद (तीसरे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गुजरात डाईस्टफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

पत्र दिनांक 01 दिसंबर, 2008 के माध्यम से मैसर्स गुजरात डाईस्टफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दाहेज एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 30 नवंबर, 2011 तक बढ़ाई थी। यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 01 दिसंबर, 2011 को समाप्त हो गई है। विकासक ने वैधता अवधि पुन: 30 नवंबर, 2012 बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि यूनिट ने प्लाट को समतल करने का कार्य शुरू किया है। डीडी प्लान को अंतिम रूप दिया गया तथा मशीनरी एवं अन्य संबद्ध कार्य के लिए आर्डर देने का कार्य प्रगति पर है तथा यूनिट को उम्मीद है कि परियोजना एक साल के अंदर पूरी हो जाएगी। यूनिट ने अब तक 10.50 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तथापि, यूनिट अपना दो तिहाई कार्य पूरा करने में समर्थ नहीं हुई है। यूनिट द्वारा उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 30 नवंबर 2012 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन तीसरे साल के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस मामले में दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 30 नवंबर, 2011, के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(v) 26 जनवरी, 2012 के बाद (तीसरे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एनसीएस रिन्यूएबल एनर्जीज लिमिटेड जो ग्राम रवीरयाल / श्रीनगर, महेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर के लिए मैसर्स फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

सोलर इनगॉट, वैफर, सेल तथा मॉड्यूल के निर्माण एवं निर्यात के लिए पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2009 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स एनसीएस रिन्यूएबल एनर्जीज लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 26 जनवरी, 2012 तक बढ़ाई थी। यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 27 जनवरी, 2012 को समाप्त हो गई है। विकासक ने वैधता अवधि पुन: 27 जनवरी, 2012 बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। यूनिट ने सूचित किया है कि परियोजना की वित्तीय बंदी प्राप्त करने में विलंब के कारण परियोजना विलंबित हुई है। इसके अलावा बाजार की स्थिति में अचानक परिवर्तन के कारण साहूकार वित्तीय बंदी में विलंब कर रहे हैं, जिसकी वजह से उत्पाद की कीमतें घट गई हैं। तथापि, सिविल कार्य शुरू हो चुका है तथा प्लांट में अपेक्षित

मशीनरी के प्रापण के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को आर्डर भी दिए गए हैं। यूनिट ने सूचित किया है कि इस परियोजना पर पूंजी व्यय के लिए 9 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। यूनिट ने यह भी सूचित किया है कि अब स्थिति में सुधार हुआ है तथा कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए यूनिट को वित्तीय बंदी पूर्ण होने की उम्मीद है और इसके लिए साहूकारों को उनकी सहायता के लिए तथा परियोजना निष्पादित करने एवं निर्माण कार्य चालू करके इसे पूर्ण करने के लिए राजी किया जा रहा है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध की सिफारिश की है।

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन तीसरे साल के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस मामले में दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए विकास आयुक्त, ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी, 2012, के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vi) 12 अप्रैल, 2012 के बाद (तीसरे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कीरट क्राफ्ट्स जो ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 13 अप्रैल, 2009 के माध्यम से मैसर्स कीरट क्राफ्ट्स को उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 12 अप्रैल, 2012 तक बढ़ाई थी। एलओपी की वैधता अवधि 13 अप्रैल, 2012 को समाप्त हो गई है। यूनिट ने 12.अप्रैल, 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने का अनुरोध किया है।

यूनिट ने सूचित किया है कि पिछले साल अगस्त में लीडरशिप में कंपनी ने परिवर्तन किया था। नए साझेदारों में फर्म को ज्वाइन कर लिया है तथा पुराने साझेदार 19 अगस्त 2011 को रिटायर हो गए हैं। यूनिट ने 9 दिसंबर 2011 को विकासक के साथ नए पट्टा करार पर हस्ताक्षर किया था तथा इसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया था। यूनिट ने यह भी सूचित किया है कि कारखाना स्थल पर नींव के निर्माण का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है तथा वे शीघ्र ही नींव के निर्माण के पूर्ण होने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग का निर्माण कराया है जिसकी अनुसूची 40 दिन के लिए है। इसके अलावा मशीनरी के लिए भी आर्डर दिए गए हैं। मशीनरी स्थापित हो जाने तथा ट्रायल रन पूर्ण हो जाने के बाद यूनिट इस साल सितंबर की समाप्ति से पूर्व उत्पादन आरंभ होने की उम्मीद कर रही है।

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन तीसरे साल के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस मामले में दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए विकास आयुक्त, ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 12 अप्रैल, 2012, के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vii) 4 मार्च, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स आशापुरा गारमेंट्स लिमिटेड जो एमपीएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 04 मार्च, 2008 के माध्यम से मैसर्स आशापुरा गारमेंट्स लिमिटेड को उपर्युक्त एसईजेड में रेडीमेड गारमेंट्स के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 04 मार्च, 2012 तक बढ़ाई थी। यूनिट ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 4 मार्च, 2013 तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि यूनिट ने प्लांट एवं मशीनरी में 46.93 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा परियोजना में लगभग 300 कर्मचारियों को नियुक्त भी किया है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि कारखाना भवन का निर्माण लगभग पूरा हो गया तथा मशीनरी इंस्टाल की जा चुकी हैं। यूनिट वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए मशीनरी को सिंक्रोनाइज करने की प्रक्रिया में है। यूनिट ने मई 2012 में ट्रायल प्रोडक्शन आरंभ करने तथा जून 2012 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने का प्रस्ताव किया है। विकास आयुक्त ने अनुरोध की सिफारिश की है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 04 मार्च, 2012, के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(viii) 4 मई, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मेघमणि आर्गेनिक्स लिमिटेड (एमओएल) जो मैसर्स दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 5 मई, 2008 के माध्यम से दाहेज एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स मेघमणि आर्गेनिक्स लिमिटेड (एमओएल) को अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने निर्माण गतिविधि के संबंध में यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 04 मई, 2012 तक बढ़ाई थी। यूनिट ने एक साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, दाहेज ने बताया है कि यूनिट ने 90 प्रतिशत परियोजना पूरी कर ली है तथा जून / जुलाई 2012 तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की संभावना है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि यूनिट ने अब तक परियोजना में 43 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसलिए विकास आयुक्त ने 4 मई 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ix) 27 जुलाई, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड जो मिहान एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स सत्यम कंप्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड मिहान एसईजेड की एक यूनिट है। यूनिट को साफ्टवेयर के निर्माण एवं निर्यात तथा परामर्श सेवा के लिए 28 जुलाई 2008 को एलओपी प्रदान किया गया था। एक साल की शुरुआती वैधता अवधि के साथ एलओए की वैधता अवधि एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (5) के अनुसार 27 जुलाई 2009 से समाप्त हो गई है। 28 नवंबर, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 27 जुलाई, 2012 तक बढ़ाई गई थी। यूनिट ने 27 जुलाई, 2014 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। यूनिट ने बताया है कि अनुमोदन बोर्ड द्वारा वैधता अवधि बढ़ाए जाने के बाद उन्होंने चारदीवारी के निर्माण के लिए ठेकेदार को अंतिम रूप दिया है। इसके अलावा कैंपस के लिए विस्तृत प्लान तैयार करने के लिए एक वास्तुकार को भी नियुक्त किया गया है। परियोजना को पूरा करने के लिए यूनिट को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने दो साल की अवधि के लिए

एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है।

10 नवंबर 2010 को अधिसूचित एसईजेड नियमावली 2006 में संशोधन से अनुमोदन बोर्ड किसी यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि उद्यमी के अनुरोध पर चौथे साल के बाद एक बार में एक साल के लिए पुन: बढ़ाने में समर्थ हो गया है। तथापि, इस मामले में यूनिट द्वारा दो साल के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(x) 31 मार्च, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स नगारो साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

साफ्टवेयर विकास तथा परामर्श सेवा के निर्माण एवं निर्यात के लिए एलओपी दिनांक 30 मार्च 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स नगारो साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 31 मार्च, 2012 तक बढ़ाई थी। एलओपी की वैधता अवधि 01 अप्रैल, 2012 को समाप्त हो गई है। यूनिट ने 31 मार्च, 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट की निर्माण गतिविधि पूरे जोरों पर है तथा यूनिट अब तक भवनों के निर्माण पर 2 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इसलिए विकास आयुक्त ने 31 मई 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xi) 30 जून, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ग्लेनमार्क जेनरिक्स लिमिटेड जो इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 01 जुलाई 2008 के माध्यम से मैसर्स ग्लेनमार्क जेनेरिक्स लिमिटेड को उपर्युक्त एसईजेड में टेबलेट और कैप्सूल के निर्माण के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 30 जून, 2012 तक बढ़ाई थी। यूनिट ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 30 जून, 2013 तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि यूनिट ने प्लांट एवं मशीनरी में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा परियोजना में लगभग 160 कर्मचारियों को नियुक्त भी किया है। विकास आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार यूनिट ने निम्नलिखित कार्य किया है : (i) खाद्य एवं औषधि प्रशासन से 150 से अधिक लाइसेंस प्राप्त किया है, (ii) पश्चिमी यूरोप तथा यूएस में 11 उत्पादों को फाइल किया है तथा और उत्पादों को शीघ्र फाइल करने की उम्मीद है, (iii) एमएचआरए (यूरोपीय विनियामक एजेंसी) से साइट का निरीक्षण कराया है जिसके लिए अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने की उम्मीद है, (iv) दो विनिर्माण लाइनों को पूरा कर लिया है तथा अधिष्ठापित कर लिया है, और (v) लगभग 25 विभिन्न उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी समावेशन भी पूरा कर लिया है जिसमें से अधिकांश का निर्यात किया जाएगा। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि परियोजना को लागू करने के लिए यूनिट द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए हैं। यूरोपीय तथा यूएस बाजार को ड्रग्स के निर्यात के लिए क्रमश: एमएचआरए तथा यूएसएफडीए से विनियामक अनुमोदन की आवश्यकता है जिसके लिए यूनिट ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। यह भी सूचित किया गया है कि यूनिट परियोजना को पूर्ण करने तथा यथाशीघ्र

प्रचालन आरंभ करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसलिए विकास आयुक्त ने पुन: एक साल की अवधि के लिए अर्थात 30 जून 2013 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xii) 04 फरवरी, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जियोन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो एमएडीसी एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की एक यूनिट है, का अनुरोध

साफ्टवेयर विकास के लिए एलओपी दिनांक 5 फरवरी 2008 के माध्यम से एमएडीसी एसईजेड, नागपुर में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स जियोन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 4 फरवरी, 2011 तक बढ़ाई थी। 28 नवंबर 2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा 4 फरवरी 2012 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाई गई। एलओए की वैधता अवधि 5 फरवरी 2012 को समाप्त हो गई है। यूनिट ने यह कहते हुए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि वित्तीय तंगी तथा विद्युत आपूर्ति की समस्या के कारण परियोजना विलंबित हुई है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि मिहान एसईजेड में यूनिटों के लिए विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने में विलंब हुआ है। विकासक ने एसईजेड से 14 किलोमीटर की दूरी पर मैसर्स अभिजीत एमएडीसी नागपुर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर 240 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किया है। हाल ही में उनको एसईजेड यूनिटों के लिए विद्युत वितरण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। वितरण लाइनें बिछाई जा रही हैं तथा इस विद्युत संयंत्र से एसईजेड यूनिटों को विद्युत आपूर्ति दिसंबर 2011 में आरंभ होने की उम्मीद है। इसलिए विकास आयुक्त, मिहान ने पुन: एक साल की अवधि के लिए अर्थात 4 फरवरी, 2013 तक वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xiii) 27 जुलाई, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड जो मिहान एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स सत्यम कंप्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड मिहान एसईजेड की एक यूनिट है। यूनिट को साफ्टवेयर के निर्माण एवं निर्यात तथा परामर्श सेवा के लिए 28 जुलाई 2008 को एलओपी प्रदान किया गया था। एलओए की शुरुआती वैधता अवधि एक साल के लिए थी तथा एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (5) के अनुसार 27 जुलाई, 2009 से इसकी वैधता अवधि समाप्त हो गई है। 28 नवंबर 2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा 4 फरवरी 2012 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाई गई। यूनिट ने यह कहते हुए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि चारदीवारी के निर्माण के लिए ठेकेदार को अंतिम रूप दे दिया गया है। एक वास्तुकार को भी नियुक्त किया गया है जो उनके प्रस्तावित कैंपस के लिए विस्तृत प्लान तैयार कर रहा है। यूनिट ने निर्माण की नियोजित गतिविधि को पूर्ण करने तथा वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने के लिए दो साल के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। इस लिए विकास आयुक्त, मिहान ने पुन: एक साल की अवधि के लिए अर्थात 27 जुलाई, 2013 तक वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xiv) 15 अक्टूबर, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) जो मैसर्स दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 के माध्यम से मैसर्स ओपीएएल को उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने निर्माण गतिविधि के संबंध में यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 15 अक्टूबर , 2011 तक बढ़ाई थी। 31 मई 2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा 15 अक्टूबर 2012 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाई गई। यूनिट ने जनवरी 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, दाहेज ने बताया है कि एसईजेड में यूनिट द्वारा स्थापित किया जा रहा पेट्रोरसायन कम्प्लेक्स भारत की इस तरह की सबसे बड़ी यूनिट है जिसका मूल्य लगभग 19500 करोड़ रुपए है और ऐसी परियोजनाओं के लिए सामान्यतया लगभग 5 साल की परिपक्वता अवधि होती है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि यूनिट ने बताया है कि टर्नकी आधार पर अवसंरचना विकास कार्य पूरा होने वाला है। क्रैकर यूनिट कार्यान्वयन के अधीन है। अन्य कार्य भी निष्पादन के विभिन्न चरणों पर हैं। इसके अलावा यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने 15 अक्टूबर, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 53.9 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) ग्राम मामिडीपल्ली, शमशाबाद मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मौजूदा एयरपोर्ट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि और कटौती के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

101.92 हेक्टेयर (251.85 एकड़) के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक ने 9.6315 हेक्टेयर (23.8 एकड़) भूमि की वृद्धि करने तथा 8.923 हेक्टेयर (22.05 एकड़) भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 102.628 हेक्टेयर (253.6 एकड़) हो जाएगा। विकासक ने बताया है कि विमुक्तीकरण के लिए प्रस्तावित भूमि का प्रयोग रनवे अक्सेस के साथ हेलीकाप्टर असेंबली यूनिट स्थापित करने के लिए किया जाएगा जो मुख्य रूप से घरेलू बाजार की आवश्यकता पूरी करेगी। जबकि भूमि की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूमि में वृद्धि की जा रही है। विकासक ने सूचित किया है कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि खाली पड़ी है तथा मौजूदा एसईजेड से संस्पर्शी है। इसके अलावा विमुक्त किए जा रहे क्षेत्रफल के संबंध में कोई ड्यूटी छूट प्राप्त नहीं की गई है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि और कटौती के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) मणिकोंडा गांव, राजेंद्र नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि की वृद्धि के लिए मैसर्स लैंको हिल्स टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

11.77 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 10 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने 0.66 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए अनुरोध किया है जिससे कुल क्षेत्रफल 12.43 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने सूचित किया है कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि पर लगभग 593000 वर्गफीट का एक टावर है जिसे वे सामाजिक - आर्थिक कारणों सहित विभिन्न कारणों से पट्टा पर देने में समर्थ नहीं हुए हैं और इसलिए खाली है। इसके अलावा शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि 36 मीटर चौड़ी सड़क द्वारा विभाजित है और इस प्रकार एसईजेड से संस्पर्शी नहीं है। विकासक ने लगभग 8000000 रुपए की लागत से फुट ओवर ब्रिज

के निर्माण के माध्यम से सन्निकटता स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने निम्नलिखित के अधीन अनुरोध की सिफारिश की है :

(क) आंध्र प्रदेश सरकार से एनओसी
(ख) विकासक टावर पर किसी कर छूट का दावा नहीं करेगा
(ग) विकासक द्वारा यथा प्रस्तावित सन्निकटता स्थापित करना।

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 53.10 : अतिरिक्त फाटकों के लिए अनुरोध

(i) पोर्ट के प्रचालनों के लिए अतिरिक्त प्रवेश / निकास द्वारों के अनुमोदन के लिए मैसर्स दाहेज, एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

तालुक वागरा, भड़ूच गुजरात में 1732.5534 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा बहु उत्पाद्य एसईजेड 20 दिसंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। इस समय 1682.6540 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है। एसईजेड क्रियाशील हो गया है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि 2010-11 के दौरान एसईजेड से निर्यात का मूल्य 436 करोड़ था तथा 2011-12 के दौरान यह 897 करोड़ रुपए था। विकासक ने 64 यूनिटों को प्लाट आवंटित किया है जिसमें से 14 यूनिटों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

25 मार्च 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 14 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पोर्ट का विकास करने के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की गई थी। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि पोर्ट के विकास के लिए गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के सीमांकन का कार्य 16 जून 2011 को किया गया तथा विकासक ने गुजरात समुद्री बोर्ड से एसईजेड तथा गैर एसईजेड दोनों यूनिटों के लिए ओवर डायमेंशनल कार्गो / ओवर वेट कार्गो / ओवर हाइट कार्गो की हैंडलिंग के लिए पोर्ट के प्रचालन के लिए वाटर फ्रंट के प्रयोग के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया है।

विकास आयुक्त, दाहेज ने सूचित किया है कि विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में पोर्ट एरिया के लिए एक प्रवेश / निकास द्वार तथा एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र की 2 यूनिटों के लिए दो निकास द्वार के लिए अनुरोध किया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है। प्रस्तावित गेट के लोकेशन को दर्शाने वाला मैप अनुबंध 4, पृष्ठ 50 के रूप में संलग्न है।

(क) पोर्ट गतिविधि के लिए एसईजेड के सीमांकित गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अलग प्रवेश / निकास द्वार (मैप में इसे पोर्ट एरिया के लिए एसईजेड गेट के रूप में चिह्नित किया गया है)
(ख) प्रसंस्करण क्षेत्र में दो निकास द्वार, गोदरेज एंड ब्वायस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (प्लाट नंबर जेड/90) तथा आईएसजीईसी हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड (प्लाट नंबर जेड/89) के लिए एक-एक

विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि विकासक ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में दो यूनिटों अर्थात गोदरेज एंड ब्वायस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (प्लाट नंबर जेड/90) तथा आईएसजीईसी हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड (प्लाट नंबर जेड/89) को भूखंड आवंटित किया है। इन यूनिटों को आवंटित भूखंड की दक्षिणी सीमा एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में पोर्ट की सीमा से लगती है। इन यूनिटों ने पोर्ट एरिया में एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र से गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में केवल अपने कैप्टिव कार्गो के मूवमेंट के लिए अपने अपने प्लाट में अलग गेट के लिए अनुरोध किया है। (मैप में प्लाट नंबर जेड/90 के लिए गेट तथा प्लाट नंबर जेड/89 के लिए गेट के रूप में

चिह्नित किया गया है)। अपने अपने प्लाट की सीमा पर ऐसे गेट होने से उनको ओवर डायमेंशनल, ओवर वेट तथा ओवर साइज कार्गो को सीधे पोर्ट / जेट्टी में ले जाने तथा एसईजेड के संपूर्ण क्षेत्र (पोर्ट एरिया) से होते हुए लंबा रूट तय करने से बचने में मदद मिलेगी। विकास आयुक्त ने यह भी बताया है कि फाटकों को सामान्यतया बंद रखा जाएगा तथा एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में उनके प्लाट से एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में पोर्ट एरिया में कस्टम अधिकारियों की उपस्थिति में कार्गो डिस्पैच करने के लिए केवल कार्गो के मूवमेंट के लिए खोला जाएगा। यूनिट इन एसईजेड यूनिटों द्वारा हैवी कार्गो विनिर्माण के मूवमेंट को सुगम बनाने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध करेगी।

विकास आयुक्त, दाहेज ने एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 11 (2) के प्रावधानों के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 53.11 : एयरक्राफ्ट के हटाए गए / प्रतिस्थापित कंपोनेंट / स्पेयर को उसके अपने ग्राहकों को लौटाने के लिए मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरो टेक्नीक लिमिटेड (एमजीएएल) जो मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एमजीएएल सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट को एमआरओ सुविधाएं प्राप्त करने वाली यूनिट है। अपने प्रचालनों के दौरान यूनिट एयरक्राफ्ट के कुछ पुराने स्पेयर / पार्ट्स / कंपोनेंट को अनुरक्षण की आवश्यकता के आधार पर नए स्पेयर / पार्ट्स / कंपोनेंट से प्रतिस्थापित करती है ताकि वे सतत उड़ान के योग्य बने रहें। व्यवसाय प्रचालन के अंग के रूप में एमजीएएल से संबंधित एयरलाइंस को मरम्मत किए गए एयरक्राफ्ट के साथ अथवा बाद में इन पुराने / प्रतिस्थापित स्पेयर / पार्ट्स / कंपोनेंट को लौटाने की आवश्यकता होती है, जो उक्त माल की स्वामी हैं। यह माल को रिटर्न करने का मामला है तथा इसमें कोई बिक्री शामिल नहीं है। एमजीएएल एसईजेड में उनके दाखिल होने के समय एयरक्राफ्ट पर एसईजेड अधिनियम के तहत कोई लाभ / छूट / रियायत प्राप्त नहीं करता है। मरम्मत के बाद एयरक्राफ्ट अधिसूचना संख्या 94/96-सीमा शुल्क दिनांक 16 दिसंबर 1996 के अनुसरण में ड्यूटी के भुगतान से छूट के तहत एसईजेड से क्लियर किए जाते हैं।

यूनिट कस्टम ड्यूटी के भुगतान के बगैर प्रतिस्थापित स्पेयर / पार्ट्स को क्लियर / रिटर्न करना चाहती है। एसईजेड का निर्दिष्ट अधिकारी एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 30 तथ अन्य संगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरोध पर सहमति प्रदान करने में असमर्थ है। 9 फरवरी 2012 को अनुमोदन समिति के समक्ष मामले को रखा गया तथा समिति ने पाया कि यूनिट का अनुरोध जायज है तथा इसे अनुमोदन बोर्ड के पास भेजने का निर्णय लिया। विकास आयुक्त ने कुछ शर्तों के अधीन अनुरोध की सिफारिश की है।

यूनिट के अभिवेदन के साथ मुद्दे की पूर्ण पृष्ठभूमि प्रदान करने वाली विकास आयुक्त की विस्तृत रिपोर्ट अनुबंध 5 (पृष्ठ संख्या 51-55) के रूप में संलग्न है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 53.12 : दाहेज में जीआईडीसी रिजर्वायर से दाहेज एसईजेड में परियोजना साइट पर 914 एमएम व्यास की एमएस वाटर पाइप लाइन लाने के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने सूचित किया है कि मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड (टीईएल) जो दाहेज एसईजेड में सह विकासक है, ने दाहेज में जीआईडीसी रिजर्वायर से एसईजेड में अपनी परियोजना साइट पर 914 एमएम

व्यास की एमएस वाटर पाइप लाने के लिए अनुमति / अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है। टीईएल ने बताया है कि पावर प्लांट के प्रचालन के लिए 32.6 एमएलडी की सतत जलापूर्ति आवश्यक है जिसकी आपूर्ति के लिए जीआईडीसी ने सहमति व्यक्त की है। इसलिए टीईएल ने विकास आयुक्त से दाहेज एसईजेड के बाहर से एसईजेड क्षेत्र में प्रस्तावित वाटर पाइप लाइन लाने के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि टीईएल जलापूर्ति के प्रयोजनार्थ जीआईडीसी रिजर्वायर से एसईजेड में अपने प्लांट तक पाइप लाइन बिछा रहा है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि चूंकि पानी गैर राजस्व मद है, इसलिए ड्यूटी एवं कर लागू नहीं हैं। इसलिए विकास आयुक्त ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 53.13 : मैसर्स फाइन ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड द्वारा मदर ऑफ पर्ल के डीटीए प्रापण के लिए प्रदान किए गए अनुमोदन की पुष्टि के लिए अनुरोध

मैसर्स फाइन ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ज्वैलरी के निर्माण एवं निर्यात के लिए एसईईपीजेड एसईजेड की यूनिट है। यूनिट ने मदर ऑफ पर्ल से स्टडेड ज्वैलरी के निर्माण एवं निर्यात को शामिल करने के लिए एलओपी की ब्राड बैंडिंग के लिए विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से अनुरोध किया था। 8 फरवरी 2012 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में यूनिट के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। समिति ने विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अधीन मदर ऑफ पर्ल से स्टडेड ज्वैलरी के निर्माण और निर्यात के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। चूंकि मदर ऑफ पर्ल आयात के लिए प्रतिबंधित मद है तथा अनुदेश संख्या 47 दिनांक 4 मार्च 2011 की शर्तों के अनुसरण में डीटीए से प्रतिबंधित मद का प्रापण करने का प्रस्ताव करने वाली यूनिटें अनुमोदन बोर्ड का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेंगी। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय की पुष्टि करने तथा डीटीए से मदर ऑफ पर्ल के प्रापण को मंजूरी प्रदान करने के लिए भी अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से प्राप्त एजेंडा नोट अनुबंध 6 (पृष्ठ संख्या 56-57) के रूप में संलग्न है।

मद संख्या 53.14 : "फेरो मैगनीज स्लैग" जो प्रतिबंधित मद है, के आयात के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स जनि अलॉयज लिमिटेड लिमिटेड जो अत्युतापुरम, विशाखापट्टनम में एपीएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स अभिजीत फेरोटेक लिमिटेड ने फेरो मैग्नीज स्लैग के आयात के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए विकास आयुक्त एपीएसईजेड से अनुरोध किया है, जो निर्मित उत्पादक अर्थात सिलिकॉन मैग्नीज के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल में से एक है। फेरो मैग्नीज स्लैग सीमा शुल्क शीर्ष संख्या 26209900 के तहत शामिल है तथा आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अनुसार इसका आयात और निर्यात प्रतिबंधित है। यूनिट द्वारा फेरो मैग्नीज स्लैग की वार्षिक आवश्यकता 60000 मीट्रिक टन है।

विकास आयुक्त ने वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 47 दिनांक 4 मार्च 2010 के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध अग्रेषित किया है, जिसमें यह प्रावधान है कि ऐसे अनुरोधों के लिए अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 53.15 : न्यूनतम निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र के निर्माण के लिए समय बढ़ाने के लिए मैसर्स एनआईआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 24 अगस्त 2006 के माध्यम से ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। 10.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 29 मई, 2007 को अधिसूचित किया गया था। एसईजेड जून 2011 में क्रियाशील हो गया है तथा 31 जनवरी 2012 तक एसईजेड से 76.23 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है और इसमें 1804 व्यक्तियों को रोजगार दिया है।

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 5 (2) (ख) के परंतुक के अनुसार किसी आईटी / आईटीईएस एसईजेड का न्यूनतम निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र 1 लाख वर्गमीटर है। एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 5 (7) में यह भी प्रावधान है कि न्यूनतम निर्मित क्षेत्र का निर्माण एसईजेड की अधिसूचना की तिथि से 10 साल की अवधि के अंदर किया जाएगा जिसमें ऐसे क्षेत्र का कम से कम 50 प्रतिशत का निर्माण ऐसी अधिसूचना की तिथि से 5 साल की अवधि के अंदर किया जाएगा।

यह एसईजेड 29 मई 2007 को अधिसूचित किया गया तथा विकासक से 28 मई 2012 तक प्रसंस्करण क्षेत्र के 50000 वर्ग मीटर का निर्माण करने की अपेक्षा है। तथापि, विकासक ने अब तक 37718 वर्गमीटर का निर्माण किया है। विकासक ने बताया है कि वैश्विक बाजार में आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के बावजूद कंपनी 37718 वर्गमीटर के क्षेत्रफल का निर्माण करने में समर्थ हुई अर्थात आज तक की स्थिति के अनुसार केवल 12282 वर्गमीटर क्षेत्रफल का कम निर्माण हुआ है। इसके अलावा 180 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के साथ विकास के चरण 2 के अंग के रूप में अतिरिक्त 40000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल का निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू की गई है तथा उम्मीद है कि 2014 तक निर्माण पूरा हो जाएगा। इसलिए विकासक ने एसईजेड नियमावली के नियम 5 (7) की शर्त का अनुपालन करने के लिए शेष क्षेत्रफल के विकास के लिए दो साल की अवधि के लिए अर्थात 27 मई 2014 तक अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 53.16 : सीटीएच संख्या 39 20 20 के तहत आने वाली मद अर्थात बीओपीपी फिल्म के निर्माण को शामिल करने के लिए एलओपी की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स कास्मो फिल्म लिमिटेड जो सेंद्रे, जिला औरंगाबाद में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एल्युमिनियम लैमिनेटेड बीओपीपी तथा एक्सट्रूसन लैमिनेटेड बीओपीपी फिल्म के निर्माण एवं निर्यात के लिए एलओपी दिनांक 26 अगस्त 2010 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स कोस्मो फिल्म लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया गया था। 21 मार्च 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन समिति द्वारा मदों की ब्राडबैंडिंग अर्थात बीओपीपी फिल्मों के निर्माण के लिए यूनिट के अनुरोध पर विचार किया गया। समिति ने अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित करने का निर्णय लिया क्योंकि विनिर्माण की प्रस्तावित मद प्लास्टिक उत्पाद है।

यूनिट ने बताया है कि वैश्विक प्रतियोगिता परिवेश में परिवर्तन के कारण उनको 160 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश से बैकवर्ड इंटीग्रेशन परियोजना स्थापित करने के लिए अपनी निर्माण क्षमता में संशोधन करना होगा। यूनिट ने यह भी बताया है कि उत्पाद का लाभप्रद मूल्य प्राप्त किया जाएगा यदि उनके प्लांट में बीओपीपी फिल्म का निर्माण पारगमन लागत / इसमें शामिल समय, अपेक्षित महत्वपूर्ण हैंडलिंग तथा एक्ट्रूशन कोटिंग / मटेलाइजर फिल्म को प्रोसेस करने के लिए नई सामग्री की प्रोसेसिंग की आवश्यकता के संबंध में किसी बाहरी

प्लांट से बीओपीपी फिल्मों की आपूर्ति / परिवहन से संबंधित अड़चनों को दूर कर लिया जाएगा। इसलिए यूनिट ने उसी कैंपस में 35000 टीपीए की क्षमता का बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लांट स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है इसके लिए एमआईडीसी मंजूरी प्रदान कर चुका है तथा भूमि आवंटित कर चुका है और संयुक्त निर्माण गतिविधि की योजना बनाई जा रही है। यूनिट ने निम्नलिखित औचित्य प्रस्तुत किया है : -

(i) वर्तमान युग में उपलब्ध स्तरोन्नत प्रौद्योगिकी मशीनें 35000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता की हैं जो आसानी से उपलब्ध हैं तथा एसईजेड परियोजनाओं में आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हैं।
(ii) मशीनों की क्षमता से ऊर्जा की बचत होगी जो समान क्षमता की मशीनों से प्राप्त नहीं हो सकता है।
(iii) मशीन का निष्पादन उपयोग में सर्वोत्तम है जो मशीनों की क्षमता कम करता है।
(iv) क्षमता कम होने के बावजूद मशीन के लिए जनशक्ति लागत समान है और इस प्रकार कम जनशक्ति लागत होने से वैश्विक निर्यात बाजार के लिए नियंत्रण के अधीन प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण में मदद मिलेगी।
(v) कम क्षमता वाले प्लांट की तुलना में समय कम करने तथा अनुरक्षण लागत घटाने के लिए इस क्षमता का उत्पादन आदर्श है।

30 मार्च, 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

''राजस्व विभाग ने बताया कि यद्यपि एसईजेड इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर के तहत आता है, जबकि ब्राड बैंडिंग के लिए प्रस्तावित मद प्लास्टिक सेक्टर के तहत आती है। विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि यह यूनिट द्वारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मामला है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट के अनुरोध को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त को एसईजेड की मौजूदा विनिर्माण यूनिट के संदर्भ में ब्राड बैंडिंग के लिए प्रस्तावित उत्पाद की प्रकृति एवं प्रकार पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड द्वारा इस मामले में भेजी गई रिपोर्ट अनुबंध 7 (पृष्ठ संख्या 58-60) के रूप में संलग्न है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 53.17 : नाम में परिवर्तन / इक्विटी के अंतरण के लिए अनुरोध

(i) अपना नाम बदलकर मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ग्राम नगवारा, बंगलौर उत्तर तालुक, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है जिसे 10.876 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 12 दिसंबर 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने अपना नाम बदलकर मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कर लिया है और इसलिए उन्होंने इसके लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है।

कंपनी रजिस्ट्रार कर्नाटक द्वारा 09 दिसंबर, 2011 को नाम में परिवर्तन की अधिसूचना पर निगमन के लिए नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड की रिपोर्ट के अनुसार केवल कंपनी के नाम

में परिवर्तन हुआ है तथा कंपनी के शेयर धारकों, शेयरहोल्डिंग पैटर्न तथा निदेशकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के विकास के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को आकृति सिटी मैग्नम लिमिटेड को ट्रांसफर करने के लिए मैसर्स डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 27 **जून** 2008 **के माध्यम से मैसर्स डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स** (**पुणे**) **लिमिटेड को** 11.83 **हेक्टेयर** (**जिसे संशोधित करके** 12.03 **हेक्टेयर किया गया**) **के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है।**

अब विकासक ने सूचित किया है कि एसईजेड के विकास के लिए उन्होंने आकृति सिटी मैग्नम लिमिटेड के नाम में अपनी 100 **प्रतिशत एसपीवी का गठन किया है। यह भी सूचित किया गया है कि एमआईडीसी जो भूमि का पट्टाकर्ता है, ने एसईजेड के प्रस्तावित विकासक के रूप में एसपीवी को मान्यता प्रदान करने के लिए एनओसी प्रदान किया है।**

इसलिए विकासक ने मैसर्स आकृति सिटी मैग्नम लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन को ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध किया है। इस संबंध में विकासक का आवेदन दिनांक 13 **जून** 2012 **अनुबंध** 8 (**पृष्ठ संख्या** 61-63) **के रूप में संलग्न है।**

अनुरोध पर विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (पीईपीपीएल) का अनुरोध

17.12 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड** (**पीईपीपीएल**) **द्वारा आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड** 19 **नवंबर** 2007 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने सूचित किया है कि कंपनी की शेयर होल्डिंग का वर्तमान पैटर्न इस प्रकार है** :

क्र. सं.	**नाम**	**शेयर होल्डिंग का प्रतिशत**
1	**एंबेसी प्रापर्टी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड** (**ईपीडीएल**)	51.03
2.	**अल्टा विस्टा इनवेस्टमेंट लिमिटेड**	48.97
	कुल	**100.00**

विकासक ने बताया है कि यह एंबेसी प्रापटी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (**ईपीडीएल**) **की सहायक कंपनियों में से एक है। जबकि अल्टा विस्टा इनवेस्टमेंट लिमिटेड विदेशी निवेशक है जिसने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के आटोमेटिक रूट के तहत निवेश किया है।**

विकासक ने यह भी बताया है कि पुनर्गठन अभियान के अंग के रूप में ईपीडीएल ने पीईपीपीएल में अल्टा विस्टा द्वारा धारित शेयर को खरीदने का प्रस्ताव किया है जिससे यह ईपीडीएल की पूर्णत: स्वामित्व वाली

सहायक कंपनी हो जाएगी। प्रस्तावित ट्रांसफर के बाद पीईपीपीएल का प्रस्तावित शेयर होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार होगा :

क्र. सं.	नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
1	एंबेसी प्रापर्टी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (ईपीडीएल)	100.00 प्रतिशत

इसलिए विकासक ने उपर्युक्त शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन के लिए मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है।

अनुरोध पर विकास आयुक्त, एसईईपीजेड की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iv) कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

26.2017 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक ने सूचित किया है कि औपचारिक अनुमोदन की प्राप्ति के समय 16 जून 2006 को कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार था :

क्र. सं.	नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
1	रेड्डी वीराना	48.20
2.	आर सुगुना	2.29
3.	डीएसआरके होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	34.51
4.	एंबेसी फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	15.00
	कुल	**100.00**

विकासक ने सूचित किया है कि अक्टूबर 2009, जनवरी 2010, जनवरी 2011 और मई 2011 में प्रमोटर्स के बीच शेयर होल्डिंग के परस्पर अंतरण, समामेलन की योजना तथा एफडीआई के कारण शेयर होल्डिंग में कुछ परिवर्तन हुए। विकासक ने सूचित किया है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तनों के बावजूद प्रमोटर्स की इक्विटी कभी 51 प्रतिशत से कम नहीं हुई है तथा कंपनी का वर्तमान शेयर होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार है :

क्र. सं.	नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत		
		2006	**2009**	**मई 2011 से**
1	रेड्डी वीराना	48.20	47.57	27.00
2.	आर सुगुना	2.29	0.29	0.26
3.	डीएसआरके होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	34.51	36.51	--
4.	एंबेसी फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड / एंबेसी प्रापर्टी डवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	15.00	15.63	35.77
5.	बीआरई मारीशस इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड (बीआरई)	--	--	36.97
	कुल	**100.00**	**100.00**	**100.00**

विकासक ने बताया है कि एंबेसी प्रापर्टी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (ईपीडीएल) एंबेसी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है तथा कामर्सियल, रेजीडेंशियल, रिटेल एवं हास्पिटलिटी सेगमेंट में इसके रियल एस्टेट विभाग हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए ईपीडीएल अपनी होल्डिंग का पुनर्गठन करने का विचार कर रही है। पुनर्गठन अभियान के अंग के रूप में ईपीडीएल ने मान्यता में धारित अपने शेयरों को अपनी सहायक कंपनी अर्थात पुणे डायनेस्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडीपीपीएल) को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव किया है। इस समय ईपीडीएल की पीडीपीपीएल में शेयर होल्डिंग 51 प्रतिशत है तथा ईपीडलएल ने पीडीपीपीएल के अन्य शेयर धारकों से शेष शेयर का क्रय करके पीडीपीपीएल को अपनी पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित ट्रांसफर के बाद मान्यता में प्रस्तावित शेयर होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार होगा :

क्र. सं.	नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
1	रेड्डी वीराना	27.00
2.	आर सुगुना	0.26
3.	पीडीपीपीएल	35.77
4.	बीआरई	36.97
	कुल	**100.00**

विकासक का अनुरोध दिनांक 14 जून 2012 जिसमें प्रस्ताव की विस्तृत पृष्ठभूमि प्रदान की गई है, अनुबंध 9 (पृष्ठ संख्या 64-69) के रूप में संलग्न है।

अनुरोध पर विकास आयुक्त, सीएसईजेड की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(v) अपना नाम बदलकर मैसर्स बेनीफिसेंट नालेज पार्क्स एंड प्रापर्टीज लिमिटेड करने के लिए मैसर्स रसई प्रापर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स रसई प्रापर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 366.409 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हिंदूपुर, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है जिसे 23 अप्रैल 2009 को अधिसूचित किया गया था। 24 जनवरी 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को मैसर्स एक्सलस्टार वेंचर्स 1 एलएलसी को 50 प्रतिशत शेयरों के अंतरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।

अब विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने अपना नाम बदलकर मैसर्स बेनीफिसेंट नालेज पार्क्स एंड प्रापर्टीज लिमिटेड कर लिया है और इसलिए उन्होंने इसके लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है।

कंपनी रजिस्ट्रार कर्नाटक द्वारा 27 सितंबर, 2010 को नाम में परिवर्तन की अधिसूचना पर निगमन के लिए नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड की रिपोर्ट के अनुसार विकासक ने स्पष्ट किया है कि :

(i) नई कंपनी की परिसंपत्तियां एवं देयताएं मैसर्स बेनीफिसेंट नालेज पार्क एंड प्रापर्टीज लिमिटेड के नाम में संरक्षित हैं।

(ii) बोर्ड की संरचना में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि एक निदेशक रिटायर हो गया है तथा एक निदेशक को एडमिट किया गया है।

(iii) नाम में परिवर्तन 50 प्रतिशत इक्विटी के विनिवेश के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन पर आधारित नहीं है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि अब तक

अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार विनिवेश करने वाली नई कंपनी के निदेशकों का कोई समावेशन नहीं हुआ है तथा उनको शामिल करने के समय पर विकास आयुक्त, वीएसईजेड को सूचित किया जाएगा।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखने की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vi) अपने नाम एवं उद्यमिता में परिवर्तन के लिए मैसर्स आईएनसी जीवीके बायो प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा गुड़गांव में विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स आईएनसी जीवीके बायो प्राइवेट लिमिटेड ने 'आईएनसी रिसर्च सीडीएस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से कंपनी के नाम एवं उद्यमिता में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया है। यूनिट ने सूचित किया है कि आईसी जीवीके बायो प्राइवेट लिमिटेड को जीवीके बायोसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड तथा आईएनसी रिसर्च एलएलसी, यूएसए के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। इसके बाद जीवीके बायोसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के विनिवेश के साथ अब कंपनी आईएनसी रिसर्च एलएलसी द्वारा धारित की जा रही है। तदनुसार कंपनी ने 13 मार्च 2012 से अपना नाम परिवर्तित कर लिया है। कंपनी की शेयर होल्डिंग का संशोधित पैटर्न इस प्रकार है :

पिछला शेयर होल्डिंग पैटर्न		वर्तमान शेयर होल्डिंग पैटर्न	
शेयर धारक का नाम	कुल इक्विटी का प्रतिशत	शेयर धारक का नाम	कुल इक्विटी का प्रतिशत
जीवीके बायोसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड	50 प्रतिशत	आईएनसी रिसर्च एलएलसी	99.99 प्रतिशत
आईएनसी रिसर्च एलएलसी	50 प्रतिशत	केंडल एनसी एलएलसी	00.01 प्रतिशत

कंपनी रजिस्ट्रार आंध्र प्रदेश द्वारा 13 मार्च, 2012 को नाम में परिवर्तन की अधिसूचना पर निगमन के लिए नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। यूनिट ने इस आशय का वचन पत्र भी प्रस्तुत किया है कि आईएनसी जीवीके बायो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिग्रहीत उक्त यूनिट के संबंध में सभी परिसंपत्तियां एवं देयताएं अब आईएनसी रिसर्च सीडीए सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ होंगी।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखने की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vii) अपने नाम एवं उद्यमिता में परिवर्तन के लिए मैसर्स आईएनसी जीवीके बायो प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा गुड़गांव में विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स आईएनसी जीवीके बायो प्राइवेट लिमिटेड ने 'आईएनसी रिसर्च सीडीएस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से कंपनी के नाम एवं उद्यमिता में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया है। यूनिट ने सूचित किया है कि आईसी जीवीके बायो प्राइवेट लिमिटेड को जीवीके बायोसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड तथा आईएनसी रिसर्च एलएलसी, यूएसए के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। इसके बाद जीवीके बायोसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के

विनिवेश के साथ अब कंपनी आईएनसी रिसर्च एलएलसी द्वारा धारित की जा रही है। तद्नुसार कंपनी ने 13 मार्च 2012 से अपना नाम परिवर्तित कर लिया है। कंपनी की शेयर होल्डिंग का संशोधित पैटर्न इस प्रकार है :

पिछला शेयर होल्डिंग पैटर्न		वर्तमान शेयर होल्डिंग पैटर्न	
शेयर धारक का नाम	कुल इक्विटी का प्रतिशत	शेयर धारक का नाम	कुल इक्विटी का प्रतिशत
जीवीके बायोसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड	50 प्रतिशत	आईएनसी रिसर्च एलएलसी	99.99 प्रतिशत
आईएनसी रिसर्च एलएलसी	50 प्रतिशत	केंडल एनसी एलएलसी	00.01 प्रतिशत

कंपनी रजिस्ट्रार आंध्र प्रदेश द्वारा 13 मार्च, 2012 को नाम में परिवर्तन की अधिसूचना पर निगमन के लिए नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। यूनिट ने इस आशय का वचन पत्र भी प्रस्तुत किया है कि आईएनसी जीवीके बायो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिग्रहीत उक्त यूनिट के संबंध में सभी परिसंपत्तियां एवं देयताएं अब आईएनसी रिसर्च सीडीए सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ होंगी।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखने की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(viii) नाम में परिवर्तन के लिए मैसर्स बावरिया पोली प्राइवेट लिमिटेड जो एफएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स बावरिया पोली प्राइवेट लिमिटेड प्लास्टिक / पीवीसी ग्रेन्यूल / गार्बेज बैग / फिल्म आदि के निर्माण और निर्यात के लिए एफएसईजेड की एक यूनिट है। यह यूनिट दिसंबर 2000 में क्रियाशील हुई। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28 जुलाई 2011 के अनुसरण में तथा 1 अप्रैल 2010 से लागू समामेलन योजना के अनुसार अपना नाम मैसर्स बावरिया पोली प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर मैसर्स कल्पना इंडस्ट्रीज करने के लिए अनुरोध किया है। इसलिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है। पत्र दिनांक 10 मई 2012 जो विकास आयुक्त, एफएसईजेड से प्राप्त हुआ है की प्रति अनुबंध 10 (पृष्ठ 70) के रूप में संलग्न है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 53.18 : अनुमोदन के निर्णयों पर पुनर्विचार के लिए अनुरोध

(i) प्रसंस्करण क्षेत्र में आईसी सुविधा स्थापित करने के लिए उनके अनुरोध के विरुद्ध गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में मैसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स बेसिक्स एकेडेमी फॉर बिल्डिंग लाइफलांग एंप्लायबिलिटी (बी-एबल) को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध

तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में 119.145 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में खाद्य प्रसंस्करण के लिए मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड अधिसूचित हो गया है। 24 जनवरी 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में निम्नलिखित सह विकासक अनुमोदित किए गए :

(क) गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसंरचना सुविधा के रूप में 5000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला सुविधा स्थापित करने तथा खाद्य परीक्षण एवं प्रमाणन सेवा प्रदान करने के लिए मैसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(ख) गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसंरचना सुविधा के रूप में 2000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए मैसर्स बेसिक्स एकेडेमी फॉर बिल्डिंग लाइफलांग एम्लायबिलिटी (बी-एबल)

अब सह विकासकों ने निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा प्रसंस्करण क्षेत्र में उपर्युक्त सुविधाएं स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। 13 मार्च, 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने अधिकृत प्रचालनों के अंग के रूप में प्रसंस्करण क्षेत्र में सुविधाओं के विकास में काफी व्यय किया है और यह कि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सुविधाओं को रिलोकेट करने से विकासक पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को प्रस्तावित डीटीए एवं एसईजेड लेनदेन की प्रकृति की जांच करने तथा मामले के उपयुक्त समाधान पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निदेश दिया। तद्नुसार मामले को आस्थगित कर दिया गया।"

इस मामले में विकास आयुक्त, एमईपीजेड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा अनुबंध 11 (पृष्ठ संख्या 71-72) के रूप में संलग्न है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) 31 दिसंबर, 2010 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स शंकर पैकेजिंग लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 03 मार्च 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स शंकर पैकेजिंग लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 31 दिसंबर, 2010 तक बढ़ाई थी। यूनिट ने परियोजना को लागू करने में विलंब के लिए निम्नलिखित कारणों का उल्लेख करते हुए अगले तीन साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए पुन: अनुरोध किया था :

(क) कंपनी के मौजूदा लोकेशन में दाहेज एसईजेड परियोजना के लिए वित्त की व्यवस्था की गई थी।

(ख) वर्ष 2008 और 2009 में वैश्विक संकट के कारण कंपनी ने दाहेज एसईजेड में निवेश को आस्थगित करने का निर्णय लिया था।

(ग) यूनिट दाहेज यूनिट में निवेश शुरू करने के लिए तैयार है क्योंकि वर्तमान लोकेशन में विस्तार पूर्ण हो गया है।

(घ) यूनिट वर्ष 2012-13 के दौरान कैपेक्स लेना चाहती है।

28 नवंबर, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा विकास आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर आस्थगित कर दिया गया था। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि यूनिट ने कोई विकास कार्य नहीं किया है। इसके अलावा विकासक ने यूनिट को आवंटित भूखंड को 11 अगस्त 2011 को निरस्त भी कर दिया है। इसलिए

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।"

अब यूनिट ने पत्र दिनांक 2 मई 2012 के माध्यम से अनुमोदन बोर्ड से 31 दिसंबर 2010 के बाद वैधता अवधि पुन: बढ़ाए न जाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध किया है। यूनिट ने कहा है कि ऐसे कारणों से परियोजना में विलंब हुआ है जो उसके नियंत्रण से परे हैं। यूनिट ने दिसंबर 2015 तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है तथा इस तिथि तक यूनिट को परियोजना को क्रियाशील बना देने की उम्मीद है। यूनिट के पत्र दिनांक 2 मई 2012 की प्रति अनुबंध 12 (पृष्ठ संख्या 73-75) के रूप में संलग्न है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) ग्राम भोंड़सी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स एसेंडेंट एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 06 नवंबर, 2006 के माध्यम से 15.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 12.5975 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 2 मई, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 5 नवंबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि कुल परियोजना एवं विकास के मास्टर प्लान में सीमाओं को दूर करने के लिए अतिरिक्त भूमि की खरीद को ध्यान में रखते हुए तथा बाजार कारकों के कारण भी विकास कार्य में विलंब हुआ है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि 2 मई 2008 को अधिसूचना के बाद अनुमोदित परियोजना को लागू करने की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए विकास आयुक्त ने अनुरोध की सिफारिश नहीं की है। 24 जनवरी, 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास आयुक्त ने परियोजना की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश नहीं की है क्योंकि विकासक ने अधिसूचना के बाद परियोजना को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 5 नवंबर 2011 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।"

विकासक ने यह कहते हुए अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है कि एनएसएल ग्रुप बहुत प्रतिष्ठित ग्रुप है तथा एसईजेड विकासक के रूप में उसकी विश्वसनीयता स्थापित है तथा दो क्रियाशील एसईजेड अर्थात एनएसएल दिव्यश्री, रायदुर्ग, हैदराबाद और एनएसएल एसईजेड, उप्पल, हैदराबाद का विकास किया है। जबकि एक नोएडा में एक एसईजेड (गोल्डन टावर इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड) विकासशील परियोजना है। दो ब्लाकों में लगभग 9 लाख वर्गफीट की परियोजना के पहले चरण का विकास शुरू हो गया है तथा इस साल के अंत तक पहला ब्लाक पूरा हो जाएगा।

तथापि, वैश्विक वित्तीय बाजार में आमूल परिवर्तनों तथा आईटी / आईटीईएस उद्योग में मंदी के कारण और आईटी स्पेस के समावेशन में भारी गिरावट के कारण भी इस परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने में विलंब हुआ। इसके अलावा विभिन्न सरकारी संगठनों तथा सांविधिक प्राधिकरणों से अनुमोदन एवं अनुमति प्रदान किए जाने में विलंब के कारण विकास पूर्ण नहीं हो सका। विकासक ने यह भी बताया है कि परियोजना

के विकास में जो विलंब हुआ है जानबूझकर नहीं हुआ है तथा केवल उपर्युक्त कारणों से हुआ है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि भूमि के प्रापण तथा भूमि का कब्जा लेने के लिए अन्य औपचारिकताओं पर 30 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। विकासक ने आश्वासन दिया है कि यदि एलओए की वैधता अवधि बढ़ाई जाएगी तो वे परियोजना को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए विकासक द्वारा प्रदान किया गया विस्तृत औचित्य अनुबंध 13 (पृष्ठ संख्या 76-79) के रूप में संलग्न है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iv) प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) जो दाहेज एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने सूचित किया है कि मैसर्स ओपीएएल ने अधिकृत प्रचालनों के लिए यूनिट अनुमोदन समिति के अनुमोदन के बगैर अपने परिसर में सुरक्षा कर्मियों के लिए अतिथि गृह तथा बैरक का निर्माण किया है। तद्नुसार 24 नवंबर 2010 को यूनिट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यूनिट को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के बाद विकास आयुक्त, केएएसईजेड द्वारा निर्णय दिनांक 12 अप्रैल 2011 जारी किया गया जिसका प्रभावी अंश इस प्रकार है :

"यूनिट द्वारा दिए गए अभिवेदन पर सुनवाई के बाद यूनिट को सूचित किया गया कि सुरक्षा कर्मियों के लिए अतिथि गृह एवं बैरक एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर अनुमत नहीं हो सकते हैं। इसलिए यूनिट को इसे तत्काल बंद कर देना चाहिए और/या उनका वैकल्पिक प्रयोग करना चाहिए तथा इन सुविधाओं के निर्माण के लिए प्राप्त किए गए सभी वित्तीय लाभों को लौटाना चाहिए।"

अब यूनिट ने मौजूदा अतिथि गृह को प्रशिक्षण अकादमी में परिवर्तित करने का अनुरोध किया है।

13 मार्च, 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने के लिए यूनिट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने तथा यह सुनिश्चित करने का भी निदेश दिया कि यूनिट गैर अनुमोदित संरचनाओं के निर्माण में प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी लाभों, यदि कोई हो, को वापस करें।"

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड द्वारा अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के बारे में यूनिट को पत्र दिनांक 3 अप्रैल, 2012 के माध्यम से सूचित किया गया। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि यूनिट ने निम्नलिखित कारणों का उल्लेख करते हुए निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है :

(क) मौजूदा भवन वस्तुत: "प्रशिक्षण अकादमी तथा आपदा प्रबंधन केन्द्र" होगा तथा उन्होंने प्लांट पर इसके लिए मौजूदा सुविधाओं में परिवर्तन के लिए कार्रवाई शुरू की है।

(ख) ओपीएएल ने ऐसे परिसर के लिए व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संकल्पना योजना के अनुसार साइट पर प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण करने की योजना पहले भी बनाई थी। यूनिट ने सुविधा को प्रशिक्षण केन्द्र में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। नए

प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण नहीं किया जाएगा जो अनुमोदित परियोजना लागत का पालन करने के लिए कुल परियोजना संकल्पना का अंग था।

(ग) भवन में प्रशिक्षण केन्द्र के साथ एक आपदा प्रबंधन केन्द्र की भी योजना बनाई जा रही है। ओपीएएल की आपदा प्रबंधन सुविधा का प्रयोग केवल ओपीएएल के पेट्रोरसायन परिसर के लिए किया जाएगा तथा दाहेज एसईजेड में किसी आपदा के लिए आपातकालीन कंट्रोल रूम के लिए संपूर्ण दाहेज एसईजेड को इसके उपयोग की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

(घ) 7 विभिन्न प्रशिक्षण माड्यूल प्रदान किए जाएंगे।

(ङ) प्रवासी स्टाफ के लिए आवासीय सुविधा को अब प्रशिक्षण केन्द्र तथा आपदा प्रबंधन केन्द्र में परिवर्तित किया जाएगा जिसमें ओपीएएल प्लान पर पहुंचने वाले विशेषज्ञों को आवास उपलबध कराने के लिए विश्राम कक्ष के रूप में चार कमरे तथा सुविधाओं के लिए 8 चैंबर शामिल होंगे।

(च) मौजूदा 48000 वर्गफीट के स्पेस में से उपलब्ध 20000 वर्गफीट को उपर्युक्त प्रस्ताव को शामिल करने के लिए संशोधित किया जाएगा। शेष सभी स्थानों का उपयोग मामूली संशोधन के साथ किया जा सकता है। यह भवन / सुविधा के अनुकूलित पुनप्रयोग के लिए इष्टतम डिजाइन समाधान है।

(छ) इस तरह के तथा इतने विशाल पेट्रोरसायन परिसर के लिए निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता है तथा कर्मचारियों के कौशल का उन्नयन लाइसेंसर के साथ लाइसेंस करार के अनुसार आवश्यक है। इसलिए ऐसे पेट्रोरसायन परिसरों के लिए अधुनातन अध्ययन केन्द्र सर्वाधिक आवश्यक एवं अनिवार्य है। क्रैकर एवं पॉलिमर प्लांट के विभिन्न कार्यों को मैनेज करने के लिए नवीनतम तकनीकी उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। उन्नत उपकरण एवं प्रौद्योगिकी पर प्रयोक्ता स्टाफ के ज्ञान पृष्ठभूमि को अपग्रेड करने की निरंतर आवश्यकता है ताकि लाइसेंसर से 25 साल के लिए गारंटी प्राप्त हो सके।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध अग्रेषित किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 53.19 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) अधिकृत गतिविधि के रूप में अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं को शामिल करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स वेयनबर्ग रिसोर्सेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा पनवेल, मुंबई में विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूज़ेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स वेयनबर्ग रिसोर्सेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मूल्यवर्धित गतिविधियों जैसे कि लूप के मापन, कटाई, पकाने, क्लैंपिंग तथा फिक्सिंग के साथ विभिन्न थिकनेस के वायर रोप के व्यापार एवं भंडारण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन किया था। 21 मार्च, 2012 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में यूनिट के अनुरोध पर विचार किया गया था। यूनिट अनुमोदन समिति ने केवल व्यापार एवं भंडारण की गतिविधियों के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की तथा अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं को शामिल करने के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के बारे में यूनिट को पत्र दिनांक 22 मार्च, 2012 (अनुबंध 14, पृष्ठ संख्या 80-81) के माध्यम से सूचित किया गया।

यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित मैसर्स वायनबर्ग रिसोर्सेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। अपील दाखिल करने के लिए यूनिट द्वारा प्रदान किए गए कारणों के साथ मामले का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध 15 (पृष्ठ 82-83) के रूप में संलग्न है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) एलओपी के निरसन के विरूद्ध मैसर्स स्टर्लिंग विनिल एडिटिव्स एलएलपी जो दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, की अपील

एलओपी दिनांक 30 **अक्टूबर**, 2009 **के माध्यम से मैसर्स स्टर्लिंग विनिल एडिटिव्स एलएलपी को दाहेज एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। वैधता अवधि** 29 **अक्टूबर**, 2011 **तक बढ़ाई गई। इसके बाद यूनिट को कोई और विस्तार प्रदान नहीं किया गया। विकास आयुक्त, दाहेज ने पत्र दिनांक** 3 **अप्रैल** 2012 **के माध्यम से यूनिट को सूचित किया है कि एसईजेड नियमावली** 2006 **के नियम** 19 (5) **के अनुसार उसके एलओए के निरस्त के रूप में माना गया है। इसके अलावा, यूनिट को एसईजेड नियमावली के तहत प्राप्त किए गए लाभों को लौटाने का भी निदेश दिया गया है।**

दाहेज एसईजेड के पत्र दिनांक 3 **अप्रैल** 2012 **(अनुबंध** 16, **पृष्ठ** 84) **के माध्यम से सूचित किए गए उपर्युक्त निर्णय से व्यथित मैसर्स स्टर्लिंग विनील एडिटिव्स एलएलपी ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। अपील दाखिल करने के लिए यूनिट द्वारा प्रदान किए गए कारणों के साथ मामले का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध** 17 **(पृष्ठ** 85-89) **के रूप में संलग्न है।**

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) अधिकृत गतिविधि के रूप में कुछ मूल्यवर्धित सेवाओं को शामिल करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स नितिन फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा पनवेल, मुंबई में विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूज़ेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स नितिन फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सिलेंडर की जांच, फिलिंग मशीन के माध्यम से खाली सिलेंडर (एक्सटिंग्विशर) में तरल गैस (फायर फाइटिंग केमिकल) भरने, तौल मशीन के माध्यम से भरे गए एक्सटिंग्विशर का वजन करने, एक्सटिंग्विशर पर आवश्यक फिटिंग एवं कैप लगाने तथा स्वयं अथवा अन्य एजेंसियों के माध्यम से डिस्पैच से पूर्व सिलेंडर का निरीक्षण करने जैसी गतिविधियों के संचालन के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के लिए व्यापार एवं भंडारण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन किया था।

22 **मई**, 2012 **को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में यूनिट के अनुरोध पर विचार किया गया था। यूनिट अनुमोदन समिति ने केवल हाई प्रेशर सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, एचएफओ पाइप, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए प्रेशर स्विच, फायर अलार्म पार्ट्स डिटेक्शन इक्विपमेंट के व्यापार एवं भंडारण तथा कुछ मूल्यवर्धित सेवाओं अर्थात पैकेजिंग, अनपैकिंग, रिपैकिंग, लेबलिंग, लैसिंग आदि तथा अन्य संबद्ध सेवाओं जैसे कि तौल सेवा, कस्टम हाउस एजेंसी सेवा तथा कार्गो हैंडलिंग सेवा आदि के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की।**

तथापि यूनिट अनुमोदन समिति ने निम्नलिखित मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया :

(i) **सिलेंडर की जांच**

(ii) **फिलिंग मशीन के माध्यम से खाली एक्सटिंग्विशर में टैंक कंटेनर से तरल गैस (फायर फाइटिंग केमिकल) भरना**

(iii) **तौल मशीन के माध्यम से भरे गए एक्सटिंग्विशर का नाप तौल करना**

(iv) **एक्सटिंग्विशर पर आवश्यक फिटिंग एवं कैप लगाना तथा डिस्पैच से पूर्व स्वयं या अन्य एजेंसियों के माध्यम से सिलेंडर की जांच करना।**

यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित मैसर्स नितिन फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। अपील दाखिल करने के लिए यूनिट द्वारा प्रदान किए गए कारणों के साथ मामले का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध 18 (पृष्ठ 90-95) के रूप में संलग्न है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) विदेशी ग्रुप कंपनियों द्वारा निर्मित लोड सेल की मरम्मत करने तथा मरम्मत किए गए लोड सेल को डीटीए में वापस भेजने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स विषय प्रीसीजन ट्रांसड्यूसर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो तमिलनाडु में सिपकॉट हाइटेक इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 24 मार्च, 2010 के माध्यम से लोड सेल के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स विषय प्रीसीजन ट्रांसड्यूसर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया गया था। यूनिट 9 जनवरी 2012 को क्रियाशील हो गई है। यूनिट ने विदेशी ग्रुप कंपनियों (मूल कंपनी / संबद्ध कंपनी में तत्कालीन डीटीए यूनिट सहित) द्वारा विनिर्मित लोड सेल का व्यापार एवं मरम्मत करने तथा मरम्मत किए गए लोड सेल को वापस डीटीए में भेजने के लिए कंपनी को अनुमति प्रदान करने के लिए एलओपी की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए विकास आयुक्त, एमईपीजेड से अनुरोध किया था।

27 अप्रैल 2012 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति ने लोड सेल के व्यापार के लिए अनुरोध को मंजूरी प्रदान की। यूनिट अनुमोदन समिति ने यूनिट द्वारा निर्मित न किए गए लोड सेल की मरम्मत करने के लिए अनुरोध को भी मंजूरी प्रदान की तथा यह शर्त रखी कि एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 18 (4) (घ) का पालन होना चाहिए जिसमें यह प्रावधान है कि मरम्मत किए गए सभी उत्पादों तथा स्क्रैप या अवशेष या अपशिष्ट का निर्यात किया जाएगा तथा इनमें से एक भी माल को डीटीए में बेचने या नष्ट करने की अनुमति नहीं होगी। यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के बारे में यूनिट को पत्र दिनांक 01 मई, 2012 (अनुबंध 19, पृष्ठ संख्या 96) के माध्यम से सूचित किया गया।

यूनिट ने मरम्मत किए गए लोड सेल (जो यूनिट द्वारा निर्मित नहीं किए गए हैं) को डीटीए में वापस भेजने की अनुमति न प्रदान करने के संबंध में यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील की है। यूनिट ने विदेशी ग्रुप कंपनियों (मूल कंपनी / संबद्ध कंपनियों में तत्कालीन डीटीए यूनिट सहित) द्वारा निर्मित लोड सेल की मरम्मत करने तथा मरम्मत किए गए लोड सेल को डीटीए में वापस भेजने की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने की प्रार्थना की है।

अपील दाखिल करने के लिए यूनिट द्वारा प्रदान किए गए कारणों के साथ मामले का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध 20 (पृष्ठ 97-107) के रूप में संलग्न है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

****